

PERFECT 7

साप्ताहिक
समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1

कोरोना वायरस
से लड़ने में

तकनीक की भूमिका

2

कोविड-19 के समय
जेलों से भीड़ कम करने
की कवायद

3

कोविड-19 महामारी
और MPLADS फंड्स:
एक विश्लेषण

4

लॉकडाउन के समय
घरेलू हिंसा में वृद्धि

5

कोरोना वायरस संकट
में स्वास्थ्य क्षेत्र अब
केंद्र बिंदु पर

6

वैश्विक साझेदारी को
पुनर्परिभाषित करता
कोविड-19

7

लीगेसी वेस्ट से निपटने
में बायोमाइनिंग की
अहमियत



ध्येय IAS®
most trusted since 2003



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित

क्या करें ✓ क्या करें और क्या ना करें



बार-बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ सफ़ेद सा से गीरे हों, तब ही अपने हाथों को अच्छे से - खासकर डैंग नील या लालून और चूनी से साफ़ करें।



छींकें और खाँसे सफ़ेद, अपना मुँह न छूएं। टिश्यू/सफ़ाई से हटें।



प्रयोग के तुरंत बाद टिश्यू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें।



अगर आपको बुखार, खाँसी और साँस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुँह और नाक को ढकने से बचें। मास्क/फेस शीट प्रयोग करें।



अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो कृपया सफ़ा हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य विभाग की 24x7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें।



बीड़-बाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।



यदि आपको खाँसी और बुखार या अगुमन से राह हो, तो किसी से सख्त संपर्क में न आवें।



जगती जगह, बास या मुँह को न छूएं।



सार्वजनिक स्थानों पर न जाएँ।

क्या न करें ✗

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24x7 हेल्पलाइन नं.

+91-11-2397 8046 पर कॉल करें या

ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

ध्येय IAS

एक परिचय



विनय कुमार सिंह

संस्थापक एवं सीईओ

ध्येय IAS

ह म इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। **ध्येय IAS** हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। **ध्येय IAS** हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। **ध्येय IAS** नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। **ध्येय IAS** प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।



व्यू. एच. खान

प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है। आज **ध्येय IAS** सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।



कुरबान अली

प्रधान संपादक

ध्येय IAS

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि **'PERFECT 7'** का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारी को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय टीम को मेरी शुभकामनाएँ। शुरुआत से ही **ध्येय IAS** द्वारा प्रकाशित **'PERFECT 7'** को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है। इसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.dhyeyaiaas.com और यूट्यूब चैनल देखें।



आशुतोष सिंह

प्रबंध संपादक

ध्येय IAS

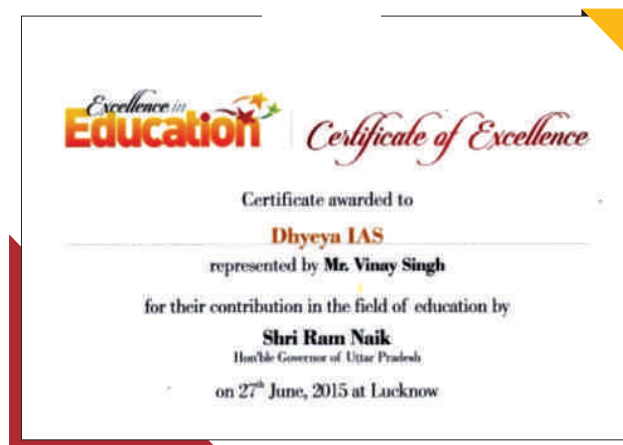
हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम **'PERFECT 7'** रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरुआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें **'PERFECT 7'** के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर **'PERFECT 7'** को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब **'PERFECT 7'** अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

आपके द्वारा दिये गए सुझाव और माँग को ध्यान में रखते हुए हम रंगों के इस त्यौहार होली के सुअवसर पर **'PERFECT 7'** के रंगीन संस्करण की शुरुआत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवीन संस्करण से आप सभी छात्रों में नवीन ऊर्जा का संचार हो, साथ ही **ध्येय IAS** से आपका प्रेम एवं स्नेह सदैव बना रहे।

प्रस्तावना



ह मने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

सं घ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका, फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	• विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	• वयू.एच. खान
मुख्य संपादक	• कुरबान अली
प्रबंध संपादक	• आशुतोष सिंह
संपादक	• जीत सिंह • अमनीश पाण्डेय • ओमवीर सिंह चौधरी • रजत झिंगन • शशिधर मिश्रा
संपादकीय सहयोग	• प्रो. आर. कुमार • बाघेन्द्र प्रताप सिंह
मुख्य लेखक	• अजय सिंह • अहमद अली • गिराज सिंह तोमर • धर्मेन्द्र मिश्रा • रमा शंकर निषाद
लेखक	• अशरफ अली • विवेक शुक्ला • स्वाति यादव • हरिओम • अंशु • सौम्या उपाध्याय
मुख्य समीक्षक	• रंजीत सिंह • रामराश अग्निहोत्री • राजहंस सिंह
त्रुटि सुधारक	• संजन गौतम
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	• गुफरान खान • राहुल कुमार
प्रारूपक	• विपिन सिंह • रमेश कुमार, • कृष्णा कुमार • निखिल कुमार
टंकण	• कृष्णाकान्त मण्डल
लेख सहयोग	• मृत्युंजय त्रिपाठी • बाघेन्द्र प्रताप सिंह • रनेहा तिवारी
कार्यालय सहायक	• हरीराम • संदीप • राजू यादव • शुभम • अरुण त्रिपाठी • चंदन

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS

302, A-10/11, Bhandari House
Near Chawla Restaurants
Dr. Mukherjee Nagar
Delhi-110009

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अप्रैल 2020 | अंक 03

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 1-14

- कोरोना वायरस से लड़ने में तकनीक की भूमिका
- कोविड-19 के समय जेलों से भीड़ कम करने की कवायद
- कोविड-19 महामारी और MPLADS फंड्स: एक विश्लेषण
- लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा में वृद्धि
- कोरोना वायरस संकट में स्वास्थ्य क्षेत्र अब केंद्र बिंदु पर
- वैश्विक साझेदारी को पुनर्परिभाषित करता कोविड-19

- लीगेसी वेस्ट से निपटने में बायोमाइनिंग की अहमियत

* 7 ब्रेन बूस्टर्स	15-21
* 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)	22-23
* 7 महत्वपूर्ण खबरें	24-27
* 7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)	28
* 7 महत्वपूर्ण तथ्य	29
* 7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ	30

OUR OTHER INITIATIVES



Hindi & English
Current Affairs
Monthly News Paper



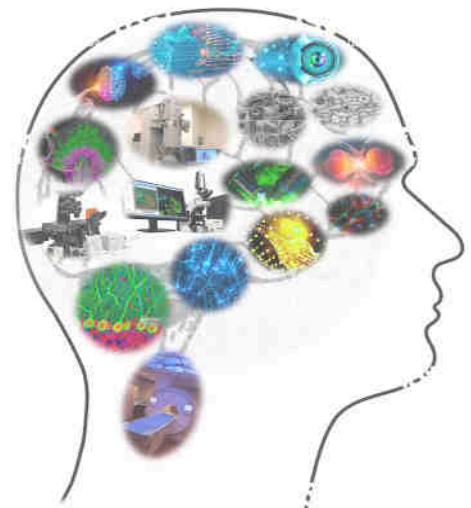
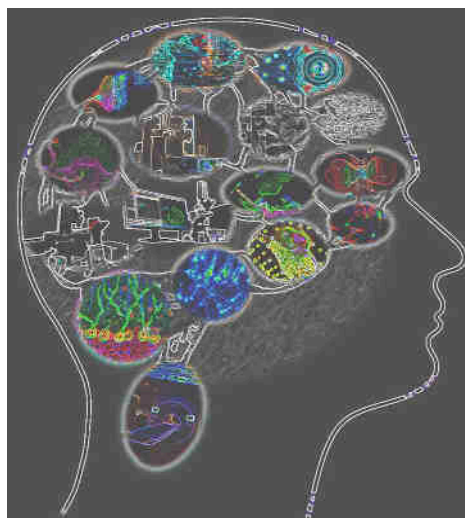
DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. कोरोना वायरस से लड़ने में तकनीक की भूमिका

चर्चा का कारण

- कोरोना वायरस से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), प्रौद्योगिकी पर विशेष महत्व दे रहा है। अभी हाल ही में दुनियाभर के 30 डिजिटल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने वर्चुअल मीटिंग की ताकि डब्ल्यूएचओ के प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके।
- दुनियाभर में कई राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को आत्मसात किया है यथा-ड्रोन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धि (एआई) आदि।



प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ

- नीचे दिये गये शीर्षकों में कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया गया है, जिनका ज्यादातर राष्ट्र कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में उपयोग कर रहे हैं-

लोकेशन ट्रैकिंग (Location Tracking)

- यदि किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया जाता है तो उसके मोबाइल डाटा द्वारा यह पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति पिछले दिनों कहाँ-कहाँ गया था अर्थात् उसके पिछले दिनों की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। इजराइल ने अपने नागरिकों के 30 दिनों के लोकेशन डेटा के इस्तेमाल की अनुमति दी हुई है।
- क्वार्टरिन के नियमों का पालन कराने हेतु लोकेशन डाटा का उपयोग किया जा रहा है। यदि कोई क्वार्टरिन व्यक्ति अपने लोकेशन से दूर जाता है तो मोबाइल फोन द्वारा एजेंसी उसे सतर्क व जागरूक करती है।

- जर्मनी व इटली जैसे देशों में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ रोकने हेतु लोकेशन डाटा का उपयोग किया जा रहा है, जबकि यूरोप में निजी डाटा के संरक्षण हेतु सख्त कानून हैं।

सीसीटीवी

- एक संक्रमित व्यक्ति की पिछली लोकेशन का पता लगाने तथा लॉकडाउन का पालन करने हेतु सीसीटीवी कैमरा का भी उपयोग किया जा रहा है।

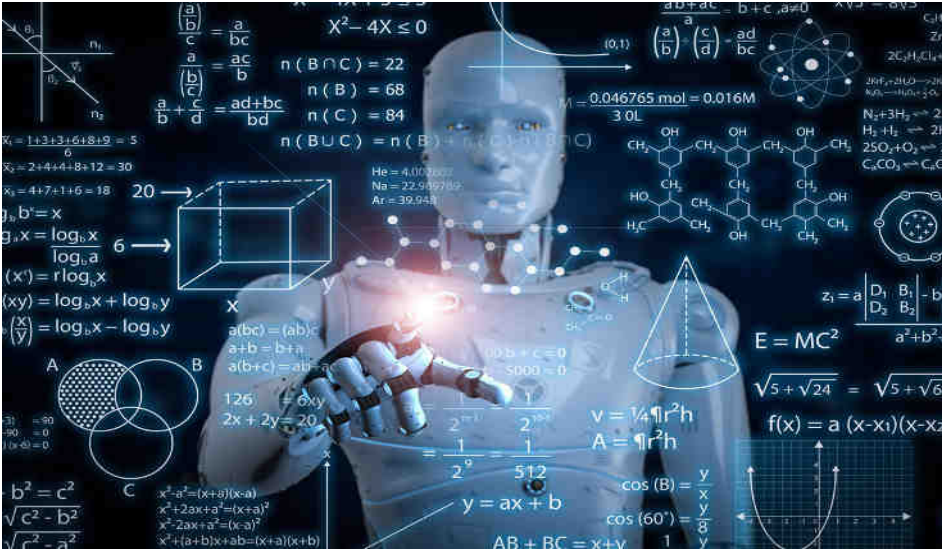
स्मार्ट इमेजिंग (Smart Imaging)

- कोरोना संक्रमित व्यक्ति का एक लक्षण बुखार भी है जिसमें शरीर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः संक्रमण का पता लगाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक युक्त थर्मल कैमरों का उपयोग किया जा रहा है।
- स्मार्ट इमेजिंग प्रौद्योगिकी के तहत चेहरा पहचान प्रणाली (Face Recognition System) को विकसित किया गया है ताकि

लोगों को माँस्क पहनना आदि के बारे में जागरूक किया जा सके।

मोबाइल एप

- कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु मोबाइल फोन एप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- भारत सरकार ने 'आरोग्य सेतु' एप लॉन्च किया है। इस एप के द्वारा लोग अपने आस-पास कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आरोग्य सेतु एप में निजी जानकारी की सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किये गये हैं।
- भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक आरोग्य सेतु एप में एल्गोरिथम (Algorithm), आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, बिग डाटा एनालिसिस आदि उच्च तकनीकों का प्रयोग किया गया है। यह एप देश की 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ-2 सभी राज्यों के हेल्पलाइन नम्बरों की सूची दी गयी है।



रोबोटिक्स

- कई अस्पतालों में रोबोट के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है ताकि डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाया जा सके।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं अन्य तकनीकों का प्रयोग करके कई रोबोट को इस प्रकार विकसित किया गया है कि वो मरीजों से कुछ बातें करने में भी सक्षम हैं और उनकी जरूरतों के मुताबिक कार्य कर सकते हैं।
- रोबोट अस्पतालों में खाना तैयार करने से लेकर उसे परोसने तक का कार्य कर रहे हैं ताकि मानव से मानव का कम से कम सम्पर्क हो सके।
- रोबोट थर्मल इमेजिंग तकनीक का भी संचालन कर रहे हैं।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स

- अस्पतालों में अधिकांश उपकरण इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) से युक्त हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने और सेवाओं के त्वरित संचालन में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- वर्तमान में कई अस्पतालों में रोगियों की प्रारम्भिक जाँच 5-जी सक्षम थर्मामीटर द्वारा की जाती है जो तुरंत परिणाम बताते हैं।

बिग डाटा एनालिसिस

- कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु विश्वसनीय डाटा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

- कई आईटी कंपनियों ने बिग डाटा एनालिसिस पर काफी फोकस किया है ताकि सक्षम प्राधिकारियों के पास विश्वसनीय सूचनाएँ तीव्रता के साथ पहुँचाई जा सकें। परिणामस्वरूप इससे कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु एक उचित नीति बनायी जा सके।
- कई संगठन बिग डाटा का उपयोग करके डैशबोर्ड (Dashboard) विकसित कर रहे हैं ताकि कोविड-19 महामारी से संबंधित सूचनाओं का उचित रीति से प्रबंधन किया जा सके।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई)

- आईबीएम कंपनी ने अपने एआई प्लेटफॉर्म 'वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटिजन्स' (Watson Assistant for Citizens) को कम से कम 90 दिनों के लिए सार्वजनिक क्लाउड पर मुफ्त में उपलब्ध कराया है। यह नागरिकों को कोविड-19 महामारी के बारे में आम सवालों को समझने और उनका जवाब देने में मदद करता है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)

- जीआईएस डाटा को एकत्रित, प्रबंधित एवं विश्लेषित करने के लिए एक फ्रेमवर्क है।
- जीआईएस के द्वारा कोविड-19 महामारी से संबंधित रियल टाइम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जियो फेंसिंग

- जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) तकनीक पर आधारित 'जियो फेंसिंग' से भीड़ एकत्र होने वाले स्थानों की पहचान कर स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाता है।
- भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्थापित किये गये 'इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर' (आईसीसीसी) द्वारा शहर में भीड़ एकत्र होने से रोकने के लिए 'जियो फेंसिंग' का सहारा लिया जा रहा है।

गोपनीयता संबंधी मुद्दे

- उपर्युक्त वर्णित प्रौद्योगिकियाँ भले ही लोगों के लिए जीवन रक्षक के रूप में सामने आयी हैं किन्तु इनसे लोगों की निजी जानकारी के दुरुपयोग का भी खतरा बढ़ गया है।
- सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों की निजी जानकारी एकत्रित कर रही है। इन निजी जानकारी का इस्तेमाल कब तक होगा और कैसे होगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है जो कि एक चिंता का विषय है, जबकि भारत में निजता का अधिकार एक मौलिक है।

आगे की राह

- वर्तमान युग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का युग है, इसलिए सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
- निजी डाटा के एकीकरण के संबंध में सरकार को गोपनीयता पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों के अधिकारों और इनके कल्याण के बीच संतुलन बना रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

प्र. कोविड-19 महामारी से निपटने में विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह बतायें कि इससे निजता संबंधी अधिकार किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं?

2. कोविड-19 के समय जेलों से भीड़ कम करने की कवायद

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देशभर की जेलों में बंद कैदियों की चिकित्सा सहायता के लिए स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और कहा कि क्या हम इस हालात को देखते हुए जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने और जेलों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं?

प्रमुख बिन्दु

- कोरोना वायरस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में कैदियों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों से उन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए विचार करने को कहा है जो अधिकतम 7 साल की सजा काट रहे हैं।
- गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की पीठ ने राज्य सरकारों को उच्च स्तरीय समिति का गठन करने को कहा है, जो यह निर्धारित करेगी कि कौन-सी श्रेणी के अपराधियों को पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है।
- राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों को देखने और एमिकस क्यूरी दुष्यंत दवे व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए सुझावों के बाद शीर्ष अदालत ने राज्यों को एक पैनल गठित करने और कैदियों से संबंधित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
- अचानक मामले पर संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'जेलों में भीड़भाड़ बहुत रहती है, ऐसे में जेलों में क्या हालात हैं इसे देखना जरूरी है। यदि जेल में कोरोना वायरस महामारी होता है, तो यह बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित करेगा और यह कोरोना वायरस फैलाने का केंद्र बन सकता है।
- केरल की जेल में कोरोना से संक्रमित कैदियों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। पंजाब में 6 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया गया है तो महाराष्ट्र सरकार ने 11 हजार कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का निर्णय लिया है। इससे पहले हरियाणा ने

जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का फैसला किया है।

- गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान की जेलों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कम जोखिम वाले कैदियों को रिहा किया जा रहा है।
- हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया। उसने सभी कैदियों की जांच कराने, कोरोना से संक्रमित कैदियों को अलग रखने और उनका तुरंत इलाज कराने पर जोर दिया।
- चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक तौर पर दूरी रखने की सलाह दी है, लेकिन जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिससे दूरी रखना मुश्किल है। देश की 1,33,9 जेलों में करीब 4,66,084 कैदी बंद हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A के तहत अगर कोई कैदी अपने उस कथित अपराध के लिये कानून में निर्धारित सजा की आधी अवधि पूरी कर चुका हो तो उसे जमानत या निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि, यह लाभ उन विचाराधीन कैदियों को नहीं मिल सकता जिनके खिलाफ किसी ऐसे अपराध में लिप्त होने का आरोप है जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है या फिर कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान किया गया हो।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, देश की जेलों में कैदियों की औसत संख्या 117.6 फीसदी है। उत्तर प्रदेश और सिक्किम में यह दर क्रमशः 176.5 फीसदी और 157.3 फीसदी है।
- चीफ जस्टिस बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने उन अध्ययनों का जिक्र किया, जिनमें कहा गया है कि संक्रमण वाली बीमारियों के जेल जैसी बंद जगहों में फैलने की ज्यादा आशंका होती है। बेंच ने कहा, जेल में कोरोना का संक्रमण फैलने का जोखिम अधिक है, क्योंकि जेल में रोजाना आरोपी, दोषी और हिरासत वाले लोग लाए जाते हैं।

- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जेल में कई अधिकारियों के अलावा कैदियों के परिजन मिलने भी आते हैं। इस वजह से कैदियों को वायरस का संक्रमण लगने की आशंका ज्यादा होती है। बेंच ने यह भी कहा कि जेल कोरोना वायरस के फैलने का कारण बन सकते हैं। बेंच ने सभी राज्य और केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों, पुलिस महानिदेशक को स्वास्थ्य सहायता देने के लिए उपाय करने का सुझाव दिया।

विचाराधीन कैदियों की क्षमता से अधिक संख्या

- दिल्ली की तिहाड़ जेल और संभवतः पूरे भारत में लगभग 82% कैदी विचाराधीन हैं। देश भर के 19 राज्यों की जेल अपनी 100 फीसदी क्षमता से ज्यादा भरी हैं। इन जेलों में 67.7 फीसदी वो कैदी हैं, जो विचाराधीन हैं। यानी जिनका केस या तो अभी सुना जा रहा है, या उनके आरोपों की जांच चल रही है। आश्चर्यजनक बात यह है कि एक दशक पहले भी जेलों में 66 फीसदी विचाराधीन कैदी बंद थे। पूरे दस साल बाद भी विचाराधीन कैदियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है।
- देश की हर एक लाख की आबादी पर 33 लोग जेल में बंद हैं। हालांकि, यह ब्राजील और रूस जैसे ब्रिक्स देशों की तुलना में काफी कम है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय स्तर पर जेल की अध्यावास (Occupancy) दर 114 फीसदी रही थी। देशभर की जेलों में इस समय चार लाख से अधिक कैदी बंद हैं। इनमें से करीब 67.7 फीसदी यानी करीब 2.70 लाख कैदी विचाराधीन हैं।
- गौरतलब है कि 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के इरादे से छोटे-मोटे अपराध के आरोपों में बंद विचाराधीन कैदियों को निजी मुचलके या जमानत पर रिहा करने का कार्यक्रम शुरू किया था। इसके बाद से समय-समय पर कानून मंत्री उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अपील करते रहे हैं कि अपराध के लिये निर्धारित सजा की आधी अवधि जेल में गुजार चुके विचाराधीन कैदियों के मुकदमों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित की जाये।

कैदियों की रिहाई से जुड़ी चिंताएँ

- जेलों की खराब हालत और क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने से अपराधियों के साथ जेल अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ा है। अक्सर अपराधी जेल से रिहा किए जाने के बाद फिर से जुर्म करते हैं। यह समस्या सिर्फ पिछड़े देशों तक सीमित नहीं है।

- अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी इससे परेशान हैं। इन देशों में जेल से रिहा होने के बाद फिर से अपराध करने की दर क्रमशः 55 प्रतिशत, 72

प्रतिशत और 44.6 प्रतिशत है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन में भी इसकी दर 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

- सामान्य परिस्थितियों में भी पुलिस एवं जेल अधिकारियों के पास पैरोल पर छूटे या जमानत पर छूटे कैदियों को ट्रैक करने का कोई कारगर उपाय अभी तक नहीं है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पैरोल पर रिहा किये गए 31297 कैदियों में फरार होने वालों की संख्या मात्र 343 (1.1%) थी। जबकि पुलिस इनमें से 150 को गिरफ्तार करने में सफल रही।
- आंकड़े बताते हैं कि जेल के लगभग 99 फीसदी कैदी पैरोल की शर्तों का पालन करते हैं। इसके अलावा, पुलिस तंत्र कुछ शेष फरार लोगों को ट्रैक करने के लिए सक्षम है।



आगे की राह

- अगर जेल की चारदीवारी के भीतर कुछ कैदी कोरोनावायरस की चपेट में आ गये तो वहाँ स्थिति पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण होगा। चूँकि न्यायालय भी महसूस करता है कि जेलों में कैदियों की भीड़ को देखते हुए उनके मामले में सामाजिक दूरी बनाये रखना व्यावहारिक नहीं होगा और अगर शासन तथा प्रशासन ने तत्काल ठोस कदम नहीं उठाये तो भारत में हालात बहुत भयावह हो सकते हैं।
- इसलिए महामारी के दौरान जेल में बंद कैदियों को रिहा करना चिकित्सकीय दृष्टिकोण से एक सकारात्मक कदम है।
- बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोनावायरस की महामारी की वजह से ही शायद देश की जेलों की हालत में सुधार हो जाये और सजायाप्राप्त कैदियों की तुलना में विचाराधीन कैदियों में ज्यादातर की रिहाई हो जाये।

- यदि ऐसा होता है तो इससे छोटे-मोटे अपराध के आरोप में बंद हुए आरोपियों को समाज में फिर से पुनर्वास का अवसर ही नहीं मिलेगा बल्कि इससे जेलों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ भी कम करने में मदद मिलेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. कोरोना वायरस महामारी के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के जेलों में बंद कैदियों के संदर्भ में स्वतः संज्ञान लिया है। जेलों में बंद कैदियों की स्थिति पर चर्चा करते हुए यह बताये कि क्या जेल में बंद कैदी कोरोना वायरस के प्रसार का एक बड़ा कारण बन सकते हैं?

3. कोविड-19 महामारी और MPLADS फंड्स: एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए MPLADS (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) निधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिन्दु

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि को दो साल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- इस पैसे का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 मार्च, 2020 को 'संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954' में संशोधन के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया था।
- इससे 7900 करोड़ रुपये की बचत होगी, इस राशि को भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन को एक वर्ष के लिए 30% तक कम करने के लिए भी मंजूरी दी है।
- MPLADS के स्थगन और सांसदों के वेतन में कटौती के संदर्भ में यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2020 को शुरू होने वाले वित्तीय

वर्ष से लागू होंगे।

- इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और सभी राज्यों के गवर्नरों ने भी स्वेच्छा से अपने वेतन से 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

- MPLADS पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। यह योजना 1993 में शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक की लागत के कार्यों के बारे में जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प दिया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य विकासात्मक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना था जिसकी सिफारिश संसद सदस्यों द्वारा की जाती है।
- एमपीलैड में अलग-अलग विकास कार्यों के सुझाव दिए गए हैं। इसमें रेलवे हॉल्ट स्टेशनों का निर्माण, मान्यता प्राप्त शैक्षिक निकाय, सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के साथ अन्य कार्य करना, जैसे वर्षा जल संचयन प्रणाली और साथ ही CCTV कैमरे लगाना आदि को शामिल किया गया है।
- लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों

द्वारा अप्रैल 2014 से अबतक कुल 4,67,144 कार्यों की सिफारिश की गई है। जिसमें से 4, 11, 612 कार्यों को मंजूरी दी गयी और इनमें से 3,84,260 कार्य 31 जुलाई, 2018 तक पूरे कर दिए गए हैं। एमपीलैड कार्यक्रम के शुरू होने के बाद जुलाई 2018 तक इसके लिए कुल 47,922.75 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं जिसमें से 45604.94 करोड़ रुपये इस्तेमाल किए जा चुके हैं जो कि जारी की गयी राशि का करीब 95 प्रतिशत है।

एमपीलैड के स्थगन से होने वाले लाभ

- COVID-19 की लड़ाई के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) का निलंबन सही दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- पिछले कुछ वर्षों का अनुभव यह रहा है कि कुछ सदस्य अपने निधि का उपयोग नहीं करते हैं और सदस्यों द्वारा इस योजना के तहत प्रशासन द्वारा की गई सिफारिश और कार्यान्वयन के बीच एक अंतर भी दिखाई देता है।
- दो साल की अवधि में लगभग 7,900 करोड़ रुपये इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए खर्च किया जा सकेगा, इससे आवश्यक स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- केंद्र ने बीमारी के प्रकोप के बाद MPLADS के बारे में दूसरी प्रमुख घोषणा यह की है कि सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए कम से कम 5 लाख की राशि का उपयोग कर सकते हैं।
- एमपीलैड योजना से प्राप्त धनराशि का उपयोग स्क्रीनिंग, चिकित्सा परीक्षण के साथ-साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो COVID-19 से लड़ने के लिए आवश्यक है।

MPLADS Suspended



- इसके अतिरिक्त, पूरे देश के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में इन्फारेड थर्मामीटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट, थर्मल स्कैनर के साथ-साथ ICU वेंटिलेटर की सुविधा आदि उपलब्ध कराने में यह धन खर्च किया जायेगा।

एमपीलैड फंड स्थापन की आलोचना

- कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में सांसदों के सहयोग के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा लिए गये दो महत्वपूर्ण निर्णयों में जहाँ पहले कदम-सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती का सभी ने स्वागत किया, वहीं दूसरे कदम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) निधि के स्थापन के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। सरकार के इस कदम की आलोचना निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर की जा सकती है-
- एमपीलैड निधि ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करवाते हैं। हालांकि सांसद को मिलने वाली यह निधि बहुत बड़ी नहीं है फिर भी सांसदों के लिए एक लोकप्रिय प्रतिनिधि के रूप में स्थानीय मांगों और जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्र या राज्य सरकार की तुलना में कहीं अधिक जवाबदेह हैं।
- सरकार को यह निर्णय लेने में कोई समस्या नहीं थी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में एमपीलैड फंड का उपयोग कोविड-19 से संबंधित उपायों या परियोजनाओं के लिए खर्च हो। इसके लिए सरकार एमपीलैड फंड को निलंबित करने की अपेक्षा इसको नियंत्रित करने वाले नियमों को संशोधित कर सकती थी, जिसमें इस फंड का प्रत्येक सांसद के स्थानीय क्षेत्र में स्वयं उसी के सुझावों के अनुसार उपयोग किया जा सके।
- केन्द्र या राज्य सरकार की परियोजनाओं की घोषणा में शासन स्तर पर हुई अनदेखी को

दूर करने के हिसाब से एमपीलैड योजना को तैयार किया गया था। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यह निधि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा धन के हस्तांतरण का इंतेजार किये बगैर ही सांसदों को स्थानीय स्तर पर अति आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों और आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराने में सक्षम बना सकती थी। इससे स्थानीय स्तर पर परीक्षण सुविधा और महामारी से लड़ने वाले प्रथम पंक्ति में मौजूद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि की संभावना बढ़ सकती थी।

- सरकार के इस कदम के विरोध में एक मजबूत तर्क यह भी दिया जा सकता है कि जिस तरह से यह किया गया है वह गैर लोकतांत्रिक है। इसमें सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जो संसद द्वारा स्वीकृत बजट के प्रावधानों को बदलता है जो न सिर्फ चालू वित्त वर्ष के लिए लागू होता है बल्कि आने वाले वित्त-वर्ष में प्रभावी रहेगा।

एमपीलैड कितना सफल रहा

- हाल में सरकार ने बताया कि एमपीलैड के तहत जारी कुल राशि में 5275 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गये। साल 2014 में चुने गये सांसदों ने 2004 और 2009 में चुने गये सांसदों के मुकाबले अपने फंड का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया था।
- एमपीलैड योजना के तहत 15वीं से 16वीं लोकसभा के बीच खर्च न की जानेवाली राशि में 214 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि, सांसद द्वारा स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और सड़कों आदि के विकास के लिए इस राशि को खर्च किया जाना चाहिए था।
- इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से सांसद निधि को लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं। जमीनी स्तर पर विकास किये जाने के लिये आवंटित सांसद

निधि की रकम आमतौर पर राजनीतिक लाभ के लिये खर्च की जाती है या फिर राजनेताओं के अपने काम में खर्च होती है।

- प्रशासनिक आयोग भी सांसद निधि समाप्त करने की सिफारिश कर चुका है। आयोग का तर्क है कि सांसदों का काम प्रशासनिक खर्च पर नजर रखना है, न कि स्थानीय निकायों के काम करना।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद निधि पर निगरानी रखने के लिये थर्ड पार्टी द्वारा निगरानी रखने का फैसला किया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार का आकलन है कि सांसद निधि के इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं है।

आगे की राह

- अब जबकि एमपीलैड योजना को निलंबित कर दिया गया है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले से की गई सिफारिशों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि, भारत के समेकित कोष में इस रकम के हस्तांतरण से देश में कहीं भी विवेकपूर्ण तरीके से धन को खर्च करने में मदद मिलेगी। इसके विपरीत जानकारों का मानना है कि एमपीलैड संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए होता है। इसके रोके जाने से संसदीय क्षेत्र में सेवाओं पर असर होगा और यह सांसद के कार्य और उसकी भूमिका को कमतर करेगा। फिर भी देखा जाये तो यह फैसला सराहनीय है, इससे कोविड 19 को समाप्त करने में मदद तो मिलगी ही साथ ही स्वास्थ्य प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

प्र. हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने सांसद स्थानीय विकास योजना (MPLADS) निधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मंजूरी दे दी है। इस निधि का इस्तेमाल अब कोरोना वायरस जैसे महामारी से निपटने में किया जाएगा। सरकार का यह कदम कितना उचित है? चर्चा करें।

4. लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा में वृद्धि

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए कई देशों द्वारा लगाये गये लॉकडाउन के बीच उत्पन्न “घरेलू हिंसा में भयावह वैश्विक उछाल” को रोकने के लिए सभी देशों की सरकारों से अपील की है।
- उन्होंने यह अपील संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के आधार पर की जिसमें कहा गया की कोरोना वायरस से कई देशों में लगाए गए लॉकडाउन के कारण महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि आई है।

क्या है घरेलू हिंसा

- घरेलू हिंसा शब्द का इस्तेमाल कई देशों में अंतरंग साथी/जीवनसाथी के द्वारा हिंसा का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। इसमें बच्चे या बड़ों के साथ या घर के किसी सदस्य द्वारा दुर्व्यवहार भी शामिल है।

घरेलू हिंसा में शामिल कृत्य

- घरेलू हिंसा में शारीरिक हिंसा, जैसे मारना और पीटना, यौन हिंसा, जबर्न सभोग और बलात्कार के अन्य रूपों सहित भावनात्मक (मनोवैज्ञानिक) रूप से पीड़ित करना, डराना, बच्चों को दूर करने की धमकी देना, वित्तीय संसाधनों, रोजगार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल आदि को प्रतिबंधित करना आदि कृत्य शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में हर तीन महिलाओं में से एक महिला अपने अंतरंग साथी/जीवनसाथी के द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव करती है।
- भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 15-49 की आयु वर्ग की 30% महिलाएं शारीरिक हिंसा का सामना करती हैं।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का सामना करने वाली विवाहित महिलाओं में 83% महिलाओं ने दावा किया कि उनके पति ऐसे दुर्व्यवहार के मुख्य अपराधी थे, इसके बाद पति के माता-पिता और भाई-बहनों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था।



- भारत में महिलाओं द्वारा दर्ज किए गए प्रमुख अपराध हैं पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं का अपमान करने के इरादे से हमला, अपहरण और बलात्कार।

लॉकडाउन में घरेलू हिंसा बढ़ने के कारण

- लॉकडाउन में घरेलू हिंसा में वृद्धि का प्रमुख कारण पुरुषों में अवसाद का बढ़ना है। नौकरी छूटने, वेतन में कटौती, लॉकडाउन से उत्पन्न अनिश्चित भविष्य ने पुरुषों में अवसाद की स्थिति को ला दिया है। लॉकडाउन की स्थिति में जब पुरुष ऑफिस नहीं जा पाते हैं तो अपने अवसाद को महिला साथी पर निकालते हैं। इसके साथ ही जब लोग अपने जीवन के एक क्षेत्र में शक्तिहीन महसूस करते हैं, तो वे अक्सर अन्य क्षेत्रों में अधिक शक्ति स्थापित करना चाहते हैं। लॉकडाउन के कारण उत्पन्न समस्या के कारण पुरुष स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं तथा इसकी भरपाई वे घरेलू हिंसा के द्वारा पूरी कर रहे हैं। इसमें एक साथी द्वारा दूसरे साथी पर मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शारीरिक और यौन नियंत्रण को हावी करने और स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।
- एक अन्य मुद्दा, जो महिलाओं को बंद के दौरान एशिया के कई देशों में सामना करना पड़ रहा है वह है घरेलू श्रम का असमान वितरण। इंडोनेशिया की महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर राष्ट्रीय आयोग ने चेतावनी दी है कि कई महिलाओं को देश के आशिक बंद के दौरान शारीरिक हिंसा के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ता है और साथ ही महिला

सशक्तिकरण और बाल संरक्षण मंत्रालय से परिवारों में कार्य के समान वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

- बंद के दौरान महिलाओं को घर से ही पेशेवर काम करना पड़ता है, साथ ही घर का काम भी करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, घरेलू श्रम के लिए लैंगिक असमानता एशिया के देशों में अधिक है।
- ILO ने पाया कि भारत में महिलाएँ शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन औसतन 312 मिनट अवैतनिक देखभाल के काम में बिताती हैं; ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन यह संख्या 291 मिनट थी। इसकी तुलना में, पुरुष क्रमशः केवल 29 और 32 मिनट प्रति दिन, समान कार्यों पर खर्च करते हैं। कुछ महिलाओं के लिए, लॉकडाउन ने उनके काम की मात्रा को लगभग तीन गुना कर दिया है।

महिलाएं क्यों हैं लाचार

- महिलाएं घर की चार दीवारी के भीतर ही सीमित रहती हैं जिससे वे अपने दुख को किसी के साथ साझा नहीं कर सकती हैं। पीड़ित महिलाएं पुलिस से शिकायत करने से भी डरती हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनका उत्पीड़न और बढ़ जाएगा।
- अधिक विशिष्ट परिस्थितियों में, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए उपलब्ध है, परन्तु लॉकडाउन के दौरान ऐसे संसाधनों तक पहुँच काफी कम है।

- गतिशीलता पर प्रतिबंध के कारण, महिलाएं घरेलू हिंसा से बचने के लिए दोस्तों या परिवार के किसी अन्य सदस्य के यहां भी आश्रय नहीं ले सकती हैं।
- आर्थिक रूप से निःशक्त महिलाएं अक्सर घरेलू हिंसा के लिए अधिक संवेदनशील बन जाती हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनके पास घरेलू हिंसा से बचने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है।

लॉकडाउन का घरेलू हिंसा पर असर

- गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से, पुलिस द्वारा की गई घरेलू हिंसा की जाँच रिपोर्ट में पेरिस (फ्रांस) में घरेलू हिंसा में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्रिटेन में, नेशनल डोमेस्टिक एब्यूज हेल्प लाइन के अनुसार कॉल और ऑनलाइन याचिकाओं में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है।
- वुहान में लॉकडाउन की अवधि के दौरान पुलिस को घरेलू हिंसा की रिपोर्टों में तीन गुना वृद्धि मिली।
- इसके अलावा अर्जेंटीना, कनाडा, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार भी घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि और आपातकालीन आश्रय की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है।
- पूर्व के आँकड़ों के अनुसार 2014 के इबोला प्रकोप के मद्देनजर पश्चिम अफ्रीकी देशों के आँकड़ों से पता चला है कि महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और हिंसा में लगातार वृद्धि हुई थी।
- आस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा से बचाव के लिए आनलाइन सहायता मांगने में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- भारत में बंद के दौरान घरेलू हिंसा में दोगुनी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब में घरेलू हिंसा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा में वृद्धि की बात मानी है।
- भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार 23 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक महिलाओं से घरेलू हिंसा के 69 फोन कॉल्स आए हैं। इसके अतिरिक्त

महिलाओं ने घरेलू हिंसा से संबंधित कुल 257 शिकायतें दर्ज करवाई हैं, जिनमें से 237 पर कार्रवाई की गई है।

- इसके अलावा, रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों के प्रचलन के कारण इस तरह के मामलों को काफी कम रिपोर्ट किया जाता है।
- गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाएं कोई शिकायत दर्ज नहीं करा पाती हैं। एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन जो आमतौर पर महिलाओं के लिए इस तरह के हमलों की रिपोर्ट करने के लिए काम करते हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं।
- भारत में सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य 5 (SDG5) में महिलाओं के खिलाफ सभी भेदभाव और सार्वजनिक-निजी क्षेत्रों में उनके प्रति हिंसा के सभी रूपों को समाप्त कर, और उन्हें आर्थिक संसाधनों और संपत्ति का उपयोग करने के लिए समान अधिकार देने के लिए सुधार किया जा रहा है।

महिला संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास

- फ्रांस में घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाले राहत संगठनों को फंड देने के लिए 1 मिलियन यूरो का प्रबंध किया जायेगा। परामर्श केंद्र खोलने और घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए होटल के कमरे का भुगतान की भी व्यवस्था की गयी है।
- इटली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जो घरेलू हिंसा पीड़ितों को फोन कॉल किए बिना मदद मांगने में सक्षम बनाता है। पीड़ितों के लिए आश्रयों के लिए 4 मिलियन यूरो आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
- भारत में संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू है, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के शिकार और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत में घरेलू हिंसा को दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता देने, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए इसके प्रावधानों का विस्तार करने और

कानूनी सहायता के अलावा पीड़ितों के लिए आपातकालीन राहत प्रदान करने के लिए पहला महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य घर में महिलाओं को शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण से बचाना है।

- इसके अलावा, 1983 में, घरेलू हिंसा को भारतीय दंड संहिता की धारा 49 8(a) के तहत एक विशिष्ट आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता दी गई थी।

आगे की राह

- दुनिया भर में सरकार को, घरेलू हिंसा में होने वाले नुकसान को तुरंत दूर करने की जरूरत है। इस सन्दर्भ में-
- राज्य सरकारों को हेल्पलाइन नम्बर को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है जो लॉकडाउन के दौरान खुली रहनी चाहिए।
- मीडिया लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जनता को जागरूक कर सकता है, उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं को प्रचारित कर सकता है और घर में घरेलू कार्यों के समान हिस्से को प्रोत्साहित कर सकता है।
- घरेलू हिंसा और सहायता का जवाब देने वाले एनजीओ के लिए फंडिंग बढ़ाए जाने चाहिए।
- संकट के दौरान आवश्यक और व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की समय पर पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित गर्भपात आदि।
- घरेलू हिंसा के अपराधियों को मुकदमों के दायरे में लाया जाना चाहिए और कानून के प्रावधानों के अनुसार बार-बार अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतर की लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. विशेषज्ञों द्वारा यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है। घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के लिए उचित उपाय सुझाएं।

5. कोरोना वायरस संकट में स्वास्थ्य क्षेत्र अब केंद्र बिंदु पर

चर्चा का कारण

- कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी नायक रहे हैं। इसीलिए निजी सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण उनमें से कई को संक्रमित होते देखकर कष्ट होता है। देश के सामने अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर, जांच किट, मास्क जैसे जरूरी उपकरणों की भारी किल्लत है। किल्लत दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब अल्पकालिक उपाय ही हैं। इस प्रकार कोरोनावायरस महामारी ने यह भी बताया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का आवश्यक अंग है।

परिचय

- कोरोना वायरस संकट ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का पूरी तरह कायाकल्प करने का एक मौका दिया है।
- इस संदर्भ में देखा जाये तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे देश में एहतियातन तीन हफ्ते के लॉकडाउन (तालाबंदी) और स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए 15,000 करोड़ रु. के प्रावधान का ऐलान किया। यह रकम अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर की व्यवस्था, कोविड-19 की जांच के लिए किट तैयार करने और चिकित्सकों के प्रशिक्षण पर खर्च की जाएगी।
- केंद्र नियम-कायदों के तय मानक तैयार कर रहा है और विशेष आइसोलेशन वार्ड वगैरह में सुरक्षा के लिहाज से जरूरी पहनावे तथा चिकित्सीय उपकरणों को हासिल करने की व्यवस्था कर रहा है। पहली पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के नियम-कायदे भी तैयार किए जा रहे हैं।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र

- भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1 प्रतिशत के आसपास हिस्सा ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ब्रिक्स देशों में यह सबसे कम खर्च है। स्वास्थ्य पर अमेरिका अपनी जीडीपी का 8.5 प्रतिशत, जर्मनी 9.4 प्रतिशत और ब्रिटेन 7.9 प्रतिशत खर्च करते हैं। जबकि हमारे पड़ोसी देश तक स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करते हैं।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का स्वास्थ्य बजट 2020-21 में लगभग 65,000 करोड़ रुपये है, जो भारतीय नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बहुत ही कम है इससे कोविड-19 जैसी घातक महामारी का मुकाबला कैसे किया जाएगा।
- भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला सार्वजनिक खर्च निजी क्षेत्र की तुलना में काफी कम है। भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक और निजी खर्च का अनुपात 3:7 है, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 9:10 है।
- विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय 23 डॉलर है, जो इंडोनेशिया (38 डॉलर), श्रीलंका (71 डॉलर) और थाईलैंड (177 डॉलर) जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। विश्व बैंक के सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा सूचकांक में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च के मामले में भारत 190 देशों में 143वें स्थान पर है।

विश्लेषण

- भारत में अस्पताल के बिस्तरों और आबादी का अनुपात 1:1,000 है अर्थात् कुल दस लाख बिस्तर अस्पतालों में हैं। आइसीयू के बिस्तर तो 1,00,000 से भी कम हैं और वेंटिलेटर तो महज 40,000 ही हैं। लिहाजा, कोविड-19 के मामलों में तेज उछाल को झेलने में देश का स्वास्थ्य तंत्र सक्षम नहीं है। वेंटिलेटरों की तो सख्त जरूरत है। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद (आइसीएमआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 के करीब 5 प्रतिशत मरीजों को आइसीयू में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है और उनमें आधे मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी।
- भारत में ज्यादातर वेंटिलेटर बाहर से मंगाए जाते हैं और एक की कीमत 5-12 लाख रु. पड़ती है। कई अस्पतालों का यह भी कहना है कि देश में बनाए गए वेंटिलेटर भरोसेमंद नहीं होते।
- जेनेरिक दवाएं बनाने और उनके निर्यात में भारत अव्वल देश है। साल 2019 में भारत ने 201 देशों को जेनेरिक दवाएं निर्यात

की है लेकिन आज भी भारत इन दवाओं को बनाने के लिए चीन पर निर्भर है और दवाओं के उत्पादन के लिए चीन से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (API) आयात करता है। यह जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन के लिए कच्चा माल होता है।

- भारत स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास पर बहुत कम खर्च करता है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 2020-21 के बजट में 1,900 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कुल बजट का केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है। यह रकम भारत जैसे बड़े आकार के देश में स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास के लिए पर्याप्त नहीं है।
- देश चिकित्सकों की भारी कमी से भी जूझ रहा है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार 83 प्रतिशत सर्जन, 76 प्रतिशत महिला रोग विशेषज्ञों एवं प्रसूति विशेषज्ञों, 83 प्रतिशत फिजीशियन और 82 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। 2018 में देश में केवल 1.14 लाख एलोपैथिक चिकित्सक थे। इसी तरह स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की अन्य श्रेणियों जैसे नर्सों, तकनीशियनों आदि कर्मियों की भी किल्लत है।

भारत में चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता

- एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनुफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के अनुसार भारत में खुदरा और संस्थागत बिक्री के लिहाज से 10 अरब डॉलर से अधिक का चिकित्सा उपकरण उद्योग है। भारत में विभिन्न प्रकार की डिस्पोजेबल और कंज्यूमेबल सामग्री, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल निदान एवं उपचार उपकरणों, स्टेंट तथा पेस मेकर आदि का किफायती विकास करने की व्यापक क्षमता है।
- किंतु इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का दबदबा है, जो विशाल भारतीय बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। भारत में हजारों से भी अधिक देसी विनिर्माता हैं, जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सस्ते चीनी आयात का मुकाबला करने के लिए बहुत छोटे हैं और कई विनिर्माता आयातक बनते जा रहे हैं। उन्हें कीमतों में वरीयता, तार्किक आयात शुल्क ढांचे जैसे प्रोत्साहनों एवं संरक्षण की

आवश्यकता है। कई देश अपने घरेलू उद्योग को इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते हैं।

- उद्योग संघों की माँगों एवं सुझावों के बाद भी सरकार ने अभी तक स्वदेशी विनिर्माण के लिए मजबूत नीतिगत सहायता योजना तैयार नहीं की है। यह क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं बल्कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के अंतर्गत आता है। औषधियों को एक अलग विभाग देखता है। अलग-अलग होने के कारण विभिन्न सरकारी विभागों में तालमेल की कमी है।

औषध क्षेत्र

- भारत औषधियों का अग्रणी निर्माता एवं निर्यातक है। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस (आईपीए) के अनुसार भारतीय औषध उद्योग 2030 तक 120-130 अरब डॉलर तक पहुँच जाना चाहिए, जबकि अभी इसका आकार केवल 38 अरब डॉलर है।
- भारत विभिन्न प्रकार के बल्क ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट (एपीआई) बनाता था। लेकिन चीन से सस्ते आयात के कारण कुछ समय में ही देशी कंपनियाँ बंद हो गईं। नतीजतन भारत एपीआई और दूसरे कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर हो गया है। वित्त वर्ष 2019 में चीन से 2.4 अरब डॉलर का बल्क ड्रग और एपीआई आयात हुआ था और इनके कुल आयात में चीन की 67 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
- कोरोना वायरस के कारण आपूर्ति श्रृंखला के बाधित हो जाने से भारतीय औषधि उद्योग को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- उपरोक्त स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है:
- स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास बजट अभी 1,900 करोड़ रुपये है, जिसे बढ़ाकर जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत किया जाए। धन जुटाने के लिए शिक्षा उपकर की तरह स्वास्थ्य उपकर पर विचार किया जा सकता है। भारत को अगले 5 वर्ष में सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा की दिशा में बढ़ना चाहिए।
- भारत को सताने वाली बीमारियों के टीकों, दवा एवं उपचार पर उच्च अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- इंडस्ट्री 4.0 और बिग डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम मेधा जैसी नई तकनीकों औषधि अनुसंधान में क्रांति ला रही हैं। भारतीय औषधि विनिर्माताओं को इन्हें अपनाना चाहिए। चिकित्सकों, नर्सों, तकनीशियनों और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों की कमी को पहचाना जाए और पूरा किया जाए। लक्ष्य के साथ पाँच वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए।
- देश में चिकित्सा शिक्षा को नया रूप दिया जाना चाहिए। देश में प्रत्येक जिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ एक मेडिकल कॉलेज जुड़ा होना चाहिए।
- स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चिकित्सा उपकरण एवं निदान क्षेत्र पर समग्र नीति लानी चाहिए। घरेलू विनिर्माताओं को स्वदेश निर्मित चिकित्सा उपकरणों और निदान उपकरणों पर 15 प्रतिशत अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए ताकि वे चीन से सस्ते आयात की चुनौती का मुकाबला कर सकें। शुल्क ढाँचे, कर प्रोत्साहन आदि को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।
- भारत सरकार को अपने अनिवार्य भारतीय मानक विकसित करने चाहिए और अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसे विदेशी मानकों पर जोर नहीं देना चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कौशल और प्रशिक्षण को अधिक वरीयता देनी चाहिए। भारतीय कौशल विकास परिषद को इसके लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।
- टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नीतियाँ और दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए, इससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों को स्वच्छता, चिकित्सा तथा चिकित्सा उपकरणों एवं चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए निश्चित न्यूनतम मानकों का पालन करना चाहिए। राज्यों से सलाह कर स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मानक विकसित किए जाने चाहिए और पर्याप्त संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए।
- भारत में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का समुचित नियमन किया जाए ताकि न्यूनतम मानक, गुणवत्ता एवं किफायत सुनिश्चित हो सके।
- रोग निरोधक स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इसके बहुत फायदे होते हैं। सीजीएचएस और ऐसी अन्य योजनाओं के तहत जीवनशैली से जुड़े रोगों

से बचने के लिए सलाह एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही स्वच्छता, भोजन और पोषण एवं व्यायाम के बारे में भी सलाह देनी चाहिए।

- आशा कर्मियों जैसे स्वास्थ्य कर्मियों का मजबूत समूह तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे प्रत्येक पंचायत और घर तक पहुँच सकें। जहाँ तक संभव हो घर पर ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी चाहिए। सचल स्वास्थ्य क्लिनिकों पर भी विचार होना चाहिए। आम आदमी को चिकित्सकों तथा पेशेवरों तक नहीं बल्कि चिकित्सकों एवं पेशेवरों को आम आदमी के पास तक जाना चाहिए।
- पारंपरिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पद्धतियों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एलोपैथिक पद्धतियों में योग और ध्यान को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- रोग निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि महामारी की शुरुआत में ही चेतावनी दी जा सके।
- स्वास्थ्य एवं सेवा क्षेत्र में गठबंधन का फायदा हो सकता है बशर्ते उसकी योजना सतर्कता से बनाई जाए। भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक लाभप्रद सहायता व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जिन देशों में भारत जैसी ही मांग है।
- इस प्रकार भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र का कार्याकल्प करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, केंद्र तथा राज्यों, सरकार एवं निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षा संस्थानों, उद्योग एवं कई अन्य हितधारकों के लिए सर्वांगीण नीति बनानी पड़ेगी। भारत में स्वास्थ्य संबंधित नीतिगत क्षेत्र बुरी तरह बंटा हुआ है और उसे एकजुट करने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोरोना वायरस महामारी ने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम नागरिकों को मूलभूत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। चर्चा करें।

6. वैश्विक साझेदारी को पुनर्परिभाषित करता कोविड-19

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की कोविड-19 महामारी से निपटने की कार्यशैली पर काफी सवाल उठ रहे हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने डब्ल्यूएचओ को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली फंडिंग को रोकने तक की धमकी दी है।
- डब्ल्यूएचओ के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) और इसके विभिन्न अंगों व संस्थाओं पर भी पिछले कुछ समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञों द्वारा इन बहुपक्षीय (Multilateral) संगठनों की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- बहुपक्षीयवाद (Multilateralism) से तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक देश किसी मुद्दे या समस्या से समाधान करने हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएं, यथा-संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्ल्यूएचओ, क्वाड (Quad), ब्रिक्स, जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) आदि।
- द्वितीय विश्व युद्ध में हुई भारी तबाही को देखते हुए, विश्व के प्रमुख देशों ने एक मजबूत बहुपक्षीय संगठन की आवश्यकता महसूस की ताकि वैश्विक स्तर पर शांति व स्थायित्व आ सके। इसलिए सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी।
- आज जब पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है तब यूएनओ व इसके अंग इससे प्रभावशाली तरीके से निपटने में अक्षम साबित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में चीन अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके कोविड-19 महामारी पर चर्चा नहीं होने दे रहा है और उसके इस कृत्य में रूस व दक्षिण अफ्रीका भी उसका साथ दे रहे हैं।

- चीन का कहना है कि कोविड-19 सिर्फ एक महामारी है, इससे विश्व की शांति व स्थायित्व को खतरा नहीं, इसलिए यूएनएससी में कोविड-19 पर चर्चा नहीं हो सकती है। जबकि सर्वविदित है कि कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है।
- भारत में विशेषज्ञों का कहना है कि चीन, कश्मीर आदि मुद्दों को वैश्विक शांति व स्थायित्व के लिए खतरा बताता है और यूएनएससी में चर्चा चाहता है किन्तु कोविड-19 पर वह कोई चर्चा नहीं चाहता।
- इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर में प्रशासन बदलने, नागरिक संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने कई बयान दिये थे तथा जब फरवरी 2020 में पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा था तब वह पाकिस्तान की यात्रा पर जाकर कश्मीर मुद्दे पर भारत व पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की बात कह रहे थे, जबकि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को सिरे से खारिज करता है।
- उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यूएनओ एवं अन्य बहुपक्षीय संगठन धीरे-धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं।

आजादी के बाद भारत की विदेश नीति

- 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी भरोसा था। यही कारण था कि भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र लेकर गया था।
- भारत नियमबद्धपूर्ण वैश्विक व्यवस्था चाहता था और उसका मानना था कि बहुपक्षीय संगठन ऐसे होने चाहिए जो गैर-पक्षपातपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण कर सकें ताकि सभी देशों का उत्थान हो सके।
- भारत ने अभी हाल ही में उपनिवेशवाद से मुक्ति पायी थी और उपनिवेशवाद के कटु अनुभव को देखते हुए इसकी भारत ने मुखर आलोचना भी की थी। यही कारण था कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन (नैम) में सक्रिय भूमिका अदा की थी।
- भारत नैम में एक लीडर की भाँति उभरा और यूरोपीय देशों के उपनिवेशवाद की इस मंच से काफी आलोचना की।
- नैम (NAM) के माध्यम से भारत ने एशिया और अफ्रीका के गरीब व विकासशील देशों के आपसी संबंधों पर काफी बल दिया और इनकी एकता को प्रोत्साहित किया।



1990 के बाद भारत की विदेश नीति

- शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय विदेश नीति में दो बहुपक्षीय संगठन विशेष रूप से उभरकर सामने आये- (i) ब्रिक्स (BRICS) (ii) क्वाड (Quad)।
- ब्रिक्स पाँच देशों का संगठन है- ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। क्वाड में चार देश शामिल हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। हालाँकि अब क्वाड प्लस (Quad Plus) की भी बात होने लगी है। क्वाड प्लस में उपर्युक्त चार देशों के अलावा न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को शामिल किया जाता है।
- शुरुआत में ब्रिक्स में तीन देश (भारत, चीन और रूस) ही एकसाथ आये थे, बाद में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील भी शामिल हुए। दरअसल 1990 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूएसए केन्द्रित एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने आकार लिया। इससे निपटने और यूएसए की मनमानी को रोकने हेतु भारत, चीन व रूस ब्रिक्स के तहत एकसाथ आये।
- नब्बे के दशक के दौरान यूएसए और भारत के संबंध मधुर भी नहीं थे। यूएसए, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ था। इसके अतिरिक्त, कश्मीर के मुद्दे पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का पक्ष लेता था। इसी के फलस्वरूप भारत को ब्रिक्स जैसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई।

- बीसवीं सदी (खासकर द्वितीय वैश्विक आर्थिक मंदी) के बाद चीन वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभरा और कई मामलों में अमेरिका को टक्कर दी। अब भारत को अमेरिका से नहीं बल्कि चीन से चुनौती मिलने लगी।
- आज चीन, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) में शामिल होने में बाधा पहुँचाता है ताकि भारत को अपने परमाणु कार्यक्रम हेतु यूरेनियम एवं अन्य तकनीक न मिल सके।
- चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को कश्मीर आदि मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश करता है। हालाँकि यूएनएससी में चीन की कोशिशों को यूएसए व फ्राँस अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके नाकाम कर देते हैं।
- चीन से लगातार मिलती चुनौतियों के कारण भारत का क्वाड जैसे बहुपक्षीय संगठन की ओर झुकाव ज्यादा हो गया है और ब्रिक्स पर भारत द्वारा अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति यह है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु क्वाड देशों के बीच लगातार विचार-विमर्श जारी है और भारत यूएसए को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की भी आपूर्ति कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों के बीच इस तरह की सक्रियता देखने को नहीं मिल रही है।
- क्वाड में सभी देश लोकतांत्रिक राजव्यवस्था वाले हैं इसलिए भारत इस संगठन में और अधिक सहज महसूस करता है।

- बीसवीं सदी में भारत ने धीरे-धीरे गुट निरपेक्ष आंदोलन (नैम) में भी अपनी सक्रिय भूमिका को कम कर दिया, जिसकी कई विशेषज्ञों ने आलोचना की तो कुछ ने तारीफ भी की। भारत ने नैम के माध्यम से उपनिवेशवादी यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध एकजुटता का प्रयास किया था, लेकिन अब यूरोपीय देश उतने शक्तिशाली नहीं रहे हैं, वर्तमान में चीन से वैश्विक शांति को ज्यादा खतरा है, यही कारण है कि भारत ने जर्मनी द्वारा समर्थित 'एलायन्स फॉर मल्टीलेटरलिज्म' (Alliance for Multilateralism) पहल को अपना समर्थन दिया है।
- भारत अब चाहता है कि ऐसी वैश्विक व्यवस्था उभरे जिसमें यूरोपीय देशों की भी भूमिका हो।

आगे की राह

- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बहुपक्षीय संगठन अभूतपूर्व उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि या तो इनका पतन हो जायेगा या फिर इनका नये सिरे से नवीनीकरण हो सकता है।
- इस स्थिति में भारत को व्यावहारिक होने की आवश्यकता है ताकि परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों को बेहतर तरीके से साधा जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. "वर्तमान में वैश्विक बहुपक्षीय संगठन (यथा- यूएनओ, डब्ल्यूएचओ आदि) विभिन्न प्रकार के नकारात्मक परिवर्तनों से गुजर रहे हैं और अपनी अप्रासंगिकता को रेखांकित कर रहे हैं।" आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? उदाहरण सहित समझाइए।

7. लीगेसी वेस्ट से निपटने में बायोमाइनिंग की अहमियत

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक समिति को निर्देश दिया है कि वो पता लगाये कि दिल्ली में कहाँ-2 लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) अर्थात् पुराना एवं प्रत्यक्त कूड़ा के पहाड़ हैं।
- इस समिति में केन्द्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute-NEERI) और आईआईटी दिल्ली के प्रतिनिधि हैं।

लीगेसी वेस्ट क्या है

- लीगेसी वेस्ट, ऐसा कचरा होता है जिसे नगर निगम निकाय या किसी अन्य संस्था ने खाली पड़ी अनुपजाऊ भूमि में इकट्ठा कर दिया है और इस कचरे का उपचार भी नहीं किया गया है।
- लीगेसी वेस्ट द्वारा दिल्ली जैसे शहरों में कूड़े के पहाड़ बन गये हैं जो विभिन्न तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं।

लीगेसी वेस्ट से समस्याएँ

- नगर निकाय या अन्य आधिकारिक संस्थाएँ किसी खाली पड़ी जगह में मिश्रित कचरा (गीला व सूखा) इकट्ठा किया करती हैं, धीरे-2 यहाँ कचरे के पहाड़ बन जाते हैं तो इस जगह को छोड़कर कोई अन्य जगह की तलाश होती है। इससे भूमि संसाधन का काफी दुरुपयोग होता है। कभी-कभी यह भी होता है कि ये कूड़े के पहाड़ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि में भी इकट्ठे किये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण कृषि योग्य भूमि पर काफी दबाव है।
- आज दिल्ली जैसे शहरों में कूड़े के पहाड़ या तो शहर के किनारे हैं या फिर ये शहर के बीच में आ गये हैं (अवैज्ञानिक तरीके से शहरीकरण के विस्तार के कारण)। इस स्थिति में इन कूड़े के पहाड़ों से पनपने वाले हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया एवं अन्य सूक्ष्म कीटाणु मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गये हैं।

- वर्तमान में पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और देश का स्वास्थ्य ढाँचा भी काफी कमजोर है। इस स्थिति में कचरे के ढेर से उत्पन्न विभिन्न बीमारियाँ स्थिति को और भी गंभीर बना सकती हैं।
- कूड़े के बड़े-बड़े पहाड़ों से कभी-कभी इतनी ज्यादा दुर्गन्ध उत्पन्न होती है कि आस-पास रहने वाले लोगों का रहना काफी मुश्किल हो जाता है।
- फिलहाल देश में ऐसी संस्कृति कम विकसित हो पायी है कि गीला व सूखा कचरा को अलग-2 किया जाये, जिसके परिणामस्वरूप कूड़े के पहाड़ों में गीला व सूखा कचरा मिश्रित रूप में इकट्ठा हो जाता है। गीले कचरे से खतरनाक लीचे (Leachate) अर्थात् निक्षालक निर्गत होता है। दरअसल लीचे एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो ज्यादा समय तक पड़े हुए कचरे से अपने-आप रिसने लगता है।
- लीचे धीरे-धीरे रिसकर भूमि जल को प्रदूषित करता है। ज्ञातव्य है कि जलवायु परिवर्तन, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन एवं अन्य कारणों से आज जल संकट धीरे-2 एक विकराल समस्या का रूप ग्रहण करता जा रहा है। लीचे द्वारा भूमिगत जल के प्रदूषित होने से जल संकट और गहरा सकता है।
- लीगेसी वेस्ट से ग्रीन हाउस गैसों भी निकलती हैं जो पृथ्वी के तापमान को और बढ़ा सकती हैं। गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु परिवर्तन सहित कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। कोविड-19 महामारी की ही तरह ग्लोबल वार्मिंग भी एक वैश्विक समस्या है जिसका खामियाजा हर व्यक्ति भुगत रहा है।
- लीगेसी वेस्ट से मीथेन गैसों भी निकलती हैं। मीथेन गैस के रिसाव के कारण कभी-2 कूड़े के पहाड़ में आग लग जाती है। अभी हाल ही में दिल्ली के गाजीपुर नामक स्थान पर इसी कारण आग लग गयी थी।

बायोमाइनिंग तकनीक एवं इसके उपयोग

- बायोमाइनिंग (Biomining) तकनीक में सूक्ष्मजीवों (यथा-वायरस, बैक्टीरिया आदि)

का उपयोग किया जाता है। दरअसल इस तकनीक के द्वारा किसी खदान (Mine) से निकले मिश्रण या फिर रॉक अयस्क (Rock Ore) से सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कर धातु (Metal) का निष्कर्षण किया जाता है। यही कारण है कि इसे बायोमाइनिंग कहा जाता है अर्थात् जैविक तरीके से माइनिंग करना।

- बायोमाइनिंग को बायोरिमेडिएशन (Bioremediation) भी कहा जाता है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सुझाव दिया है कि बायोमाइनिंग तकनीक के द्वारा लीगेसी वेस्ट का निपटान (Dispose) किया जा सकता है।
- आज लीगेसी वेस्ट में गीला व सूखा कचरा मिश्रित रूप में उपस्थित रहता है। इस कारण कूड़े के पहाड़ों में कुछ कचरा अपने आप धीरे-धीरे विघटित हो जाता है। इस स्थिति में बायोमाइनिंग तकनीक के द्वारा पहले कचरे के ढेर को छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित वायु और लीचे का निष्कर्षण हो जाये। इसके बाद सूक्ष्म-जीवों का स्प्रे (Spray) किया जाता है ताकि सम्पूर्ण कचरे का विघटन हो जाये।
- बायोमाइनिंग तकनीक का तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब कोई जगह (या भूमि) किसी हानिकारक धातु द्वारा प्रदूषित हो गयी हो। दरअसल सूक्ष्म जीव हानिकारक धातु को प्रदूषित जगह से निष्कर्षित कर लेते हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सन् 2016 में अधिसूचित किया गया था। इन नियमों ने म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियम, 2000 का स्थान लिया था।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को नगर निगम के क्षेत्रों से बाहर भी लागू किया गया है। अब इन नियमों में अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, जनगणना वाले कस्बों, रेलवे, हवाई अड्डों, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों आदि को भी शामिल कर लिया गया है।

- 2016 के नियमों में प्रदूषणकर्ता के कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया। इन नियमों में बताया गया कि प्रदूषणकर्ता अपशिष्ट को तीन प्रकारों (जैव निम्नीकरणीय, गैर-जैव निम्नीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्ट) में इकट्ठा करके स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को नियमित रूप से सौंपेंगे।
- इन नियमों में विभिन्न एजेंसियों या पक्षकारों के जिम्मेदारी आदि का उल्लेख किया गया है। इन पक्षकारों में शामिल हैं-भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, स्थानीय निकाय, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि। हालांकि इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक केन्द्रीय निगरानी समिति को दिया गया है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में स्थानीय निकायों को काफी महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं, यथा-
 - प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरा को इकट्ठा करना।
 - प्रदूषणकर्ता पर नियमानुसार यूजर्स शुल्क का निर्धारण करना।
 - बायोमिथनेशन, माइक्रोबियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायोमाइनिंग आदि जैसी

तकनीकों को बढ़ावा देना ताकि कचरे का सुरक्षित निपटान हो सके।

आगे की राह

- भारत में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे सुनिश्चित करने हेतु एक सक्षम अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र तथा उसका विनियमन अति आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्र. लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) क्या होता है और इससे किस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं? लीगेसी वेस्ट के सुरक्षित निपटान हेतु बायोमाइनिंग तकनीक किस प्रकार सहायक हो सकती है? चर्चा करें।

सात महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

1. 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान

1. चर्चा का कारण

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश में कोरोना वायरस 'कोविड-19' के प्रकोप से उपजे संकट को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान को शुरू किया गया है।
- केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के बारे में किसी भी प्रकार के सुझाव को ट्विटर पर हैश टैग #BharatPadheOnline या bharatpadhe online.mhrd@gmail.com पर भेजने का प्रस्ताव रखा है।

2. उद्देश्य

- 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान का उद्देश्य भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना है।
- देश के सभी छात्रों को लागत प्रभावी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान प्रतिबद्ध है।
- ई-स्कूल के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में सुधार करना और शिक्षा उपलब्धता को सार्वभौमिक, निशुल्क और प्रत्येक द्वार तक उपलब्ध करना भी इसका उद्देश्य है।



3. वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा

- स्वयं, स्वयंप्रभा, दीक्षा और ई-पाठशाला जैसे डिजिटल शिक्षा संसाधनों के माध्यम से विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
- 'ई-बुक' इंटरनेट एवं विभिन्न एप पर उपलब्ध हैं।
- कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के चलते अनेक शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है।
- यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी ऑनलाइन टीचिंग एवं लर्निंग को बेहतर करने के लिए शिक्षाविदों से विचार व सलाह लेगी।

4. डिजिटल शिक्षा से संबंधित पहल

- ई-पाठशाला**-ई-पाठशाला प्लेटफॉर्म पर NCERT की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। छात्र इन पुस्तकों को कम्प्यूटर अथवा स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें ऑडियो तथा वीडियो की सुविधा भी है।
- स्वयं (SWAYAM)**- इस पोर्टल में स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न कोर्स उपलब्ध हैं। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांतों-पहुँच (Access), निष्पक्षता (Equity) तथा गुणवत्ता (Quality) को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- स्वयंप्रभा DTH-TV**- स्वयंप्रभा प्रत्यक्ष रूप से 'डायरेक्ट टू होम' (सीधे आपके घर) सुविधा है। स्वयंप्रभा के अन्तर्गत कक्षाओं की व्याख्या और अनुभव को 32 डिजिटल शैक्षिक टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इच्छुक छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है।
- नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (NDL)** - नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (NDL) एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। यह देश में 70 लाख से ज्यादा किताबों तक पहुँचने में मदद करेगी। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है।
- दीक्षा पोर्टल**-दीक्षा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे अध्यापकों के सीखने व प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया गया था।

2. साइटोकिन स्टॉर्म

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में यह पता चला है कि साइटोकिन स्टॉर्म के कारण कोविड-19 महामारी की स्थिति और भी घातक हो सकती है।
- कोविड-19 एक नए प्रकार के कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग है, इस वायरस के कई संभव दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिनमें से एक साइटोकिन स्टॉर्म (Cytokine Storm) है।
- साइटोकिन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द Cyto (Cell) और Kinos (Movement) द्वारा हुई है।

2. साइटोकिन स्टॉर्म क्या है?

- साइटोकिन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका स्राव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं एवं प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा होता है।
- साइटोकिन स्टॉर्म शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के अतिसक्रियता की स्थिति को दर्शाता है।
- साइटोकिन, कोशिकाओं के बीच आण्विक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है।
- साइटोकिन स्टॉर्म का अर्थ है प्रतिरोध कोषों (Immune cells) और उनके सक्रिय यौगिकों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन।
- जब हमारे शरीर में किसी फ्लू का संक्रमण होता है तो फेफड़ों में सक्रिय प्रतिरोधक कोषों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि फेफड़े में जलन होती है और साथ ही वहाँ तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे साँस लेने में कष्ट होने लगती है जो रोगी को मृत्यु का कारण बन सकता है।



3. साइटोकिन स्टॉर्म का निर्माण

- साइटोकिन स्टॉर्म हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण स्वतः उत्पन्न प्रतिरोध की दशा में अस्तित्व में आता है।
- यह आवश्यक नहीं है कि साइटोकिन स्टॉर्म केवल कोरोना वायरस के रोगियों को ही हो, वास्तव में यह एक प्रतिरोध प्रतिक्रिया है जो किसी भी संक्रमण वाले रोग में हो सकता है।
- इसमें रोगी को तेज बुखार, जलन, अतिशय थकान एवं उल्टी जैसे लक्षण होते हैं।

4. कोविड-19 के रोगी पर साइटोकिन स्टॉर्म का प्रभाव

- जब किसी रोगी को फ्लू के संक्रमण के दौरान साइटोकिन स्टॉर्म होता है तो उस समय फेफड़ों में सक्रिय प्रतिरोधक कोषों में वृद्धि हो जाती है, परन्तु ये कोष एंटीजेन से लड़ने के स्थान पर फेफड़ों में जलन पैदा कर देते हैं और उसके अंदर तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर श्वास की समस्या उत्पन्न कर देते हैं।
- ज्ञातव्य है कि 1918-20 के स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसका कारण साइटोकिन स्टॉर्म ही था।
- H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू में भी साइटोकिन स्टॉर्म के कारण प्रबल प्रतिरोध क्षमता वाले युवा भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे।

3. ग्लोबल वार्मिंग और ग्रेट बैरियर रीफ

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत नये आँकड़ों के अनुसार ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण ग्रेट बैरियर रीफ के क्षरण में तेजी से वृद्धि हुई है।
- वैज्ञानिकों ने इसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ कोरल ब्लीचिंग की समस्या बढ़ती जा रही है।

2. ग्रेट बैरियर रीफ क्या है?

- ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ 'सिस्टम' है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी 'एकल' संरचना है, जो जीवित प्राणियों से मिलकर बनी है। इसकी संरचना कोरल पॉलोप्स (चिपके हुए मुँगे) के तौर पर प्रसिद्ध अरबों छोटे जीवों के एक साथ मिलने से बनी है।
- विदित हो कि सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम 2900 से अधिक कोरल रीफ से मिलकर बना है। कोरल रीफ से हमें पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का पता चलता है।
- इसे वर्ष 1980 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। यह रीफ दुनिया के सात अजूबों में से एक है।



3. मुख्य बातें

- जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेरी हयूजेस ने उस व्यापक सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी है जिसमें यह बताया गया है कि बढ़ते तापमान के कारण पिछले 5 वर्षों में 2300 किमी. फैले रीफ सिस्टम में तीसरी बड़ी ब्लीचिंग हुई है।
- विदित हो कि पहली बार इस रीफ ब्लीचिंग के बारे में वर्ष 1998 में पता चला था। उस समय यह सबसे गर्म वर्ष रहा था।
- ऑस्ट्रेलिया की पर्यटन अर्थव्यवस्था में ग्रेट बैरियर रीफ का योगदान अनुमानतः 4 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है।
- ग्रेट बैरियर रीफ के सभी तीनों क्षेत्र मध्य, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के काफी बड़े हिस्से बढ़ते तापमान के कारण अत्यधिक प्रवाल विरंजक से प्रभावित हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फरवरी माह में सबसे अधिक समुद्री तापमान होने के कारण 'ग्रेट बैरियर रीफ' को काफी नुकसान हुआ है।
- ज्ञातव्य है कि ग्रीन हाउस गैस के कारण उत्पन्न गर्मी का 99 प्रतिशत भाग महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण महासागर वैज्ञानिकों द्वारा अनुमानित आँकड़ों से 40 प्रतिशत अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं।

4. कोरल ब्लीचिंग के कारण

- शोधकर्ता ने बताया कि कोरल ब्लीचिंग गर्मियों में समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण पैदा होने वाले थर्मल तनाव के कारण होती है।
- उनके अनुसार तापमान के बढ़ने से कोरल तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस कारण वे अपने एल्गी (शैवाल) निष्कासित करते हैं और यही एल्गी उनके ऊतकों में रहते हैं।
- बढ़ते तापमान के कारण इन एल्गीज के न रहने पर कोरल का चमकीला रंग रंगहीन हो जाता है।

4. प्लाज्मा थेरेपी टू फाइट कोविड-19

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केरल स्थित श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी करने की मंजूरी दी गई है।

2. पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले चीनी शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया कि वुहान (चीन) में 10 वयस्क रोगियों में कोरोना का प्रतिरोध करने तथा उच्च स्तर पर एंटीबॉडी को बनाए रखने में काफी वृद्धि हुई है।
- कोविड-19 से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए किसी भी निवारक वैक्सीन या विशिष्ट एंटीवायरल की अनुपस्थिति में यह प्लाज्मा उन लोगों से लिया गया है जो कोरोना वायरस से ग्रस्त थे और अब स्वस्थ हो चुके हैं।
- परीक्षण के आधार पर गंभीर रूप से बीमार लोगों का इलाज करने के लिए यह थेरेपी शुरू करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। ICMR ने केवल उन रोगियों पर थेरेपी करने की अनुमति दी है जो गंभीर रूप से बीमार हैं। अभी इसका उपयोग केवल क्लीनिकल ट्रायल के लिए किया जाएगा।

3. क्या है प्लाज्मा थेरेपी ?

- जब भी कोई व्यक्ति वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक एंटीबॉडी विकसित करती है। ये एंटीबॉडी उस विशेष सूक्ष्मजीव के खिलाफ एक आजीवन प्रतिरक्षा प्रणाली या अल्पकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।
- यह मरीज अब प्लाज्मा डोनर की तरह काम कर सकता है। जब वह रक्त दान करता है, तो केवल प्लाज्मा लिया जाता है और शेष रक्त शरीर में वापस आ जाता है।
- इस एंटीबॉडी-समृद्ध प्लाज्मा को फिर प्रभावित रोगियों में स्थानांतरित किया जाएगा। ट्रांसफ्यूज्ड (स्थानांतरित) प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी वायरस को लक्षित करेंगे और रोगी ठीक हो जाएगा, इसे निष्क्रिय टीकाकरण कहा जाता है।



4. अन्य तथ्य

- प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 20वीं शताब्दी से हो रहा है, 1918 में जब स्पेनिश फ्लू कोविड-19 के समान महामारी बन गया तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था।
- 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी के प्रकोप, 2003 में SERS-CoV-1 महामारी और 2012 में MERS-CoV महामारी के प्रकोप में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था।
- इसके अलावा वर्ष 2014 में जब इबोला वायरस से गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया जैसे देश प्रभावित हुए थे तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस से उबरने वाले रोगियों से प्राप्त होने वाले प्लाज्मा से उपचार किये जाने को मंजूरी दी थी।

5. प्लाज्मा थेरेपी एवं टीकाकरण में अंतर

- प्लाज्मा थेरेपी निष्क्रिय (Passive) टीकाकरण के समान है अर्थात् यह तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक कि स्थानांतरित प्लाज्मा में मौजूद एंटीबाडी रोगी के रक्त में मौजूद है, जबकि टीकाकरण स्वयं ही प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करती है।
- दूसरे शब्दों में प्लाज्मा थेरेपी अस्थाई सुरक्षा है, जबकि टीकाकरण स्थाई सुरक्षा है।

6. चुनौतियाँ

- एक बार प्लाज्मा दान करने के बाद, ब्लड बैंक को विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के अलावा किसी और के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे सामान्य प्लाज्मा पूल से अलग रखना पड़ता है।
- प्लाज्मा थेरेपी महंगी और सीमित भी है, जो किट व्यक्ति में एंटीबॉडी स्तर की जांच के लिए आवश्यक है वह भारत में उपलब्ध नहीं है, इसे जर्मनी से आयात की जाती है।

5. ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा पर ग्लोबल इनिशिएटिव (GISAID) के साथ नोवल कोरोना वायरस (SARS-CoV-2) के पूरे नौ जीनोम अनुक्रम साझा किए हैं।
- इन सभी को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा साझा किया गया है।

2. GISAID क्या है?

- यह 2008 में डब्ल्यूएचओ द्वारा 61वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अवसर पर शुरू किया गया एक सार्वजनिक मंच है जहाँ विभिन्न देशों द्वारा जीनोम अनुक्रम साझा किया जाता है।
- 2013 में यूरोपीय आयोग ने एक शोध संगठन के रूप में GISAID को मान्यता दी।
- GISAID का डेटाबेस एक्सेस समझौता यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक अनुक्रम डेटा के दानकर्ता, डेटा के लिए अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को जब्त नहीं करेंगे।

3. पृष्ठभूमि

- इस वर्ष मार्च की शुरुआत में, भारत नोवल कोरोना वायरस के जीनोम का अनुक्रम करने वाला दुनिया का पांचवाँ देश बन गया था।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने सभी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को नोवल कोरोना वायरस के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी है।



4. जीनोम अनुक्रमण क्या है?

- जीनोमिक/जीनोम अनुक्रमण एक ऐसी तकनीक है जो हमें डीएनए या आरएनए के भीतर पाए जाने वाले आनुवंशिक जानकारी (एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और थाइमिन/युरेसिल का क्रम जो एक जीव का डीएनए/आर एन ए बनाते हैं) को पढ़ने और व्याख्या करने की अनुमति देता है।
- अब तक 57 देशों द्वारा आपस में मनुष्यों से अलग अलग वायरस के 3,086 अनुक्रम साझा किए गए हैं।
- इसमें से अमेरिका ने सबसे अधिक (621) अनुक्रम साझा किए हैं, इसके बाद यूके (350), बेल्जियम (253) और चीन (242) हैं।

5. कोविड-19 के जीनोमिक अनुक्रम को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह सार्स-CoV-2 जीनोम, के रूप में औपचारिक रूप से जाना जाता है।
- कोरोना वायरस के पास लगभग 30,000 आधार जोड़े (बेस पेयर) होते हैं, इन 30,000 आधार जोड़ों प्रत्येक चार में से एक रसायनिक संयोजन कर एक लम्बी स्ट्रिंग बनाते हैं, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है।
- यह लंबी स्ट्रिंग, अपने न्यूक्लियोटाइड्स के अद्वितीय संयोजन के साथ वायरस के विशिष्ट रूप की पहचान करता है, जिसे जीनोमिक अनुक्रम कहा जाता है।
- यह पाया गया है कि SARS-CoV-2 के एक स्पाइक प्रोटीन को 2019-nCoV के रूप में भी जाना जाता है, यह वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने में सक्षम बनाता है।

6. अनुक्रमण क्यों आवश्यक है ?

- यह विश्व स्तर पर वायरस के संचरण मार्ग को ट्रैक करने में मदद करता है।
- यह निर्धारित कर सकता है कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है।
- यह उपचारों के मुख्य लक्ष्यों की पहचान करता है।
- यह सह-संक्रमण की भूमिका को समझने के लिए आवश्यक है।

6. इसरो का शुक्रयान-1 मिशन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी होने की संभावना व्यक्त की है।
- ध्यातव्य है कि इसरो का शुक्रयान-1 मिशन भी शुक्र ग्रह के अध्ययन से संबंधित है।
- इसरो प्रमुख के. सिवान के अनुसार इसरो (ISRO) ने आने वाले 10 वर्षों में कई लक्ष्य तय किए हैं, इनमें से एक लक्ष्य वर्ष 2023 तक शुक्रयान-1 मिशन है।
- अभी तक सिर्फ 4 देशों ने (अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय यूनियन) ही शुक्र ग्रह पर सफलता पूर्वक मिशन भेज पाए हैं। इनमें पहली सफलता सन् 1962 में नासा (USA की स्पेस एजेंसी) को प्राप्त हुई थी।

2. मुख्य बिन्दु

- शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी और शुक्र दोनों ही ग्रहों के आकार, घनत्व, बनावट एवं गुरुत्वाकर्षण में काफी समानताएं हैं।
- इसरो ने शुक्रयान मिशन-1 से संबंधित अध्ययन एवं शोध 2012 में ही शुरू कर दिया था परन्तु मंगलयान की सफलता के बाद शुक्रयान मिशन को पटल पर रखा गया।
- इसके लिए वर्ष 2017-18 में भारत सरकार ने मंजूरी दी और तत्कालीन अंतरिक्ष विभाग के बजट में 23 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की गई।
- शुक्रयान-1 मिशन मुख्य रूप से तीन व्यापक अध्ययन पर आधारित है। प्रथम अनुसंधान क्षेत्र में सतह/उपसतह की मिट्टी, आकार घनत्व, द्वितीय -अनुसंधान क्षेत्र में वायुमंडलीय रसायन विज्ञान, गतिकी और संरचनाओं की विविधता और तीसरे अनुसंधान क्षेत्र में-सौर ऊर्जा एवं सौर विकिरण से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी।



3. मिशन शुक्रयान-1 के बारे में

- शुक्रयान-1 मिशन इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- इसे GSLV Mark III रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया जाएगा।
- इसका पेलोड वजन 100 किलोग्राम तथा लॉन्च वजन 2500 किलोग्राम का होगा।
- इसके लॉन्चिंग के लिए समय वर्ष 2023 निर्धारित किया गया है।
- इसरो ने भारतीय शिक्षण संस्थानों को शुक्र ग्रह पर पेलोड भेजने के लिए आमंत्रित भी किया है। इसके अतिरिक्त ISRO ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय को भी पेलोड के लिए आमंत्रित किया है।
- इसरो को फ्रांस की स्पेस एजेंसी (CNES) इस मिशन में सहयोग कर रही है और संयुक्त रूप से स्वायत्त नेविगेशन तथा एरोब्रेकिंग तकनीक का विकास कर रही है।

4. आगे की राह

- यदि शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की पुष्टि हो जाती है तो इससे पृथ्वी पर ज्वालामुखी के निर्माण से संबंधित अध्ययन में सहायता होगी, साथ ही इससे यह भी समझा जा सकेगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा।
- भारत द्वारा अपने शुक्रयान-1 मिशन के अतिरिक्त NISAR (2021), AVATAR (2025), मंगलयान-2 (2022-23), गगनयान (2022), स्पैडेक्स (2025), एक्सपोजेसैट (2021) को लॉन्च करने का लक्ष्य है। ऐसे में अगले 5-7 सालों में दुनिया भर में इसरो और भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर मौजूद भरोसा और मजबूत हो जाएगा।

7. कोविड-19 और महामंदी

1. चर्चा का कारण

- नोवल कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें पहले से ही 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का पैकेज दे चुकी हैं लेकिन अभी और फंड की जरूरत है। IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) के अनुसार, 2020 की मंदी 1930 की महामंदी से ज्यादा भयावह होगी। IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं जो निम्नलिखित हैं।
 - IMF ने कहा है कि संसाधनों की कमी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मांग-आपूर्ति की समस्याओं से जुझना होगा। इसके अतिरिक्त कई देशों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों की कोविड-19 से प्रभावित होने की संभावना है।
 - IMF निदेशक क्रिस्टालिन जार्जिवा के अनुसार, इस वर्ष (2020 में) 170 से अधिक देशों में प्रति व्यक्ति आय घटने का अनुमान है।
 - IMF प्रमुख ने कहा कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के एक बड़े हिस्से के उभरते बाजार और कम आय वाले देशों में जोखिम सबसे अधिक है। इस महाद्वीप के देशों की स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर है। इसके अतिरिक्त उन्हें घनी आबादी वाले शहरों और मलिन बस्तियों में COVID-19 से जुझना पड़ रहा है।

2. महामंदी क्या है?

- महामंदी सन् 1929 से 1939 तक विश्व भर में फैली आर्थिकी मंदी को कहा जाता है जो अमेरिका में शुरू हुई और जल्द ही ब्रिटेन, जर्मनी और भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में भी फैली गई।
- मंदी की शुरुआत 1929 में अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने की वजह से हुई थी। इसमें 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45 फीसदी तक गिरावट आ गई थी। वर्ष 1930 में ही अमेरिका में सूखा भी पड़ा था। उस समय लगभग 11 हजार बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए थे।
- उस समय भारत पर ब्रिटिश राज था। कई वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए गए तथा लोगों पर नए टैक्स का आरोपण किया गया। आर्थिक मंदी पर ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में तरह-तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी जिसके परिणामस्वरूप 1935 में Reserve Bank of India की स्थापना हुई जो आज भी कार्यरत है।



3. वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियाँ

- वर्तमान में कोविड-19 की वजह से वैश्विक व्यापार विशेष रूप से खुदरा, होटल, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर देशों में अधिकांश श्रमिक या तो स्वरोजगार में लगे हैं या लघु एवं मझोले उपक्रमों में कार्यरत हैं। इस संकट में ऐसी कंपनियाँ और श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।
- कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई आवश्यक पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँच रही है।
- कोरोना वायरस से वैश्विक शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहा। शेयर बाजार में गिरावट के कारण कई देशों में लोअर सर्किट (कुछ समय के लिए कारोबार बंद) लगा दिया गया। भारतीय रुपये में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट हो रही है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर पर आधारित)

1. 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान का उद्देश्य भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए प्लेटफार्म को बढ़ावा देना है।
2. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के कारण अनेक शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया है।
3. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया है इसके अर्न्तगत विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविद अपने आइडिया व सलाह देने के लिए स्वतंत्र हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान का उद्देश्य भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए प्लेटफार्म को बढ़ावा देना है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के कारण अनेक शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया है, इसके अर्न्तगत विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविद अपने आइडिया व सलाह देने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार सभी कथन सत्य हैं। ■

2. साइटोकिन स्टार्म

प्र. साइटोकिन स्टार्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. साइटोकिन एक विटामिन होती हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होती है।
2. साइटोकिन स्टॉर्म केवल कोरोना वायरस के रोगियों को ही होता है।
3. साइटोकिन स्टॉर्म का अर्थ है प्रतिरोध कोषों और उनके सक्रिय यौगिकों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: साइटोकिन एक प्रोटीन होती है (न कि विटामिन), जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होती है। साइटोकिन स्टॉर्म केवल कोरोना वायरस के रोगियों को नहीं होता है। साइटोकिन स्टॉर्म का अर्थ है प्रतिरोध कोषों और उनके सक्रिय यौगिक का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। इस तरह कथन 1 और 2 गलत हैं। ■

3. ग्लोबल वार्मिंग और ग्रेट बैरियर रीफ

प्र. ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है।
2. यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैण्ड के तट पर कोरल सागर में स्थित है।
3. ऑस्ट्रेलिया की पर्यटन अर्थव्यवस्था में ग्रेट बैरियर रीफ का योगदान अनुमानतः 4 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: ऑस्ट्रेलिया पारिस्थितिकी में अहम स्थान रखने वाले विश्व के सबसे बड़े प्रवाल भित्ति 'ग्रेट बैरियर रीफ' पर बढ़ते तापमान की वजह से अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। यह रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैण्ड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। ■

4. प्लाज्मा थेरेपी टू फाइट कोविड-19

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जब भी कोई व्यक्ति वायरस या बैक्टीरिया से संक्रमित होता है, तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक एंटीबॉडी विकसित करती है।

- यह एंटीबॉडी उस विशेष सूक्ष्मजीव के खिलाफ एक आजीवन प्रतिरक्षा प्रणाली या अल्पकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।
- प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 18वीं शताब्दी से हो रहा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग 20वीं शताब्दी (न कि 18वीं शताब्दी) से हो रहा है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू एक महामारी का रूप धारण कर लिया तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह कथन 3 गलत है। ■

5. ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा (जीआईएसएआईडी) अनुक्रम विश्व स्तर पर वायरस के संचरण मार्ग को ट्रैक करने में मदद करता है।
- जीआईएसएआईडी वर्ष 2008 में डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू किया गया एक मंच है, जहाँ विभिन्न देशों द्वारा जीनोम अनुक्रम साझा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 (b) 1 और 2 दोनों
(c) केवल 2 (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में भारत ने शेयरिंग आफ इन्फ्लुएंजा डाटा पर ग्लोबल इनिशिएटिव के साथ नोवल कोरोना वायरस के पूरे नौ जीनोम अनुक्रम साझा किये हैं। यह अनुक्रम साक्षा करने वाला भारत शुरूआती 5 देशों में से एक है। जीआईएसएआईडी वर्ष 2008 डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू किया गया एक मंच है जहाँ विभिन्न देशों द्वारा जीनोम अनुक्रम साझा किया जाता है। ■

6. इसरो का शुक्रयान-1 मिशन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- इसरो के अनुसार शुक्रयान-1 मिशन को 2030 तक लॉन्च किया

जाएगा।

- भारत द्वारा अपने गगनयान मिशन को 2025 तक लॉन्च किया जाएगा।
- शुक्रयान-1 मिशन के लिए इसरो एवं फ्रांस की स्पेस एजेंसी (CNES) मिलकर कार्य कर रही है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: इसरो प्रमुख के. सिवान के अनुसार इसरो ने आने वाले 10 वर्षों में कई लक्ष्य तय किए हैं, इनमें से एक मिशन है वर्ष 2023 तक शुक्रयान-1 मिशन। अतः कथन 1 गलत है। इसके अलावा भारत द्वारा अपने गगनयान मिशन को 2022 (न कि 2025) तक लॉन्च करने की योजना है। इस तरह कथन 2 भी गलत है। ■

7. कोविड-19 और महामंदी

प्र. कोविड-19 और महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- विश्व मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार वर्ष 2020 में 170 से अधिक देशों में प्रति व्यक्ति आय घटने का अनुमान है।
- विश्व में महामंदी की शुरूआत वर्ष 1929 में अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने की वजह से हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: वर्तमान में कोविड-19 का प्रभाव पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। IMF के अनुसार इसके प्रभाव से वर्ष 2020 में 170 से अधिक देशों में प्रति व्यक्ति आय घटने का अनुमान है। इसके अनुसार विश्व महामंदी की तरफ बढ़ रहा है। विदित हो कि विश्व में महामंदी की शुरूआत वर्ष 1929 में अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने की वजह से हुई थी। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. बिहार के 10 जिलों के भूजल में यूरेनियम

- यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेचेस्टर, यूके और महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, फुलवारी शरीफ द्वारा किए गए एक नए शोध में बिहार के 10 जिलों का भूजल यूरेनियम प्रभावित पाया गया है। करीब डेढ़ वर्षों के शोध के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई है। हालाँकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये यूरेनियम भूजल में कैसे और कहाँ से आया है।

यूरेनियम सांद्रता में बढ़ोत्तरी

- यूरेनियम सांद्रता में यह बढ़ोत्तरी बिहार के उत्तर-पश्चिमी व दक्षिण-पूर्वी बैंड और गंडक नदी के पूर्व में एवं झारखंड की ओर गंगा नदी के दक्षिण में विशेष रूप से गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा और नवादा जिलों में हो रही है।

- इस शोध में ये भी पाया गया कि सुपौल जिले के भूजल में यूरेनियम की मात्रा सबसे अधिक है। इस जिले के भूजल में यूरेनियम की उपस्थिति 80 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार यह प्रति लीटर 30 माइक्रोग्राम या इससे कम होना चाहिए। यह राजधानी पटना के भूजल में WHO के मानकों के अनुरूप पाया गया है।

- भूजल में यूरेनियम की उपस्थिति से गंभीर रोग का खतरा महसूस किया जा रहा है। इससे हड्डी व किडनी रोगों में वृद्धि का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे कैंसर भी हो सकता है। आज भी बिहार के करीब 70 फीसदी से अधिक आबादी पीने के लिए भूजल का इस्तेमाल करती है। इसलिए नए शोध से प्राप्त जानकारियों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नुकसानदेह माना जा रहा है।

क्या है यूरेनियम

- यह मुख्यतः पृथ्वी के ऊपरी सतह या भूपर्पटी में पाए जाने वाला तत्व है। यह एकटीनाईड श्रेणी का एक सक्रिय तत्व है। इसके 3 प्राकृतिक समस्थानिक, U-238, U-235 और U-234 पाये जाते हैं। जबकि कृत्रिम समस्थानिक U-237 का उपयोग परमाणु बम व रिएक्टर के ईंधन के रूप में किया जाता है। इस तत्व को “मेटल ऑफ होप” भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
- इस तत्व की खोज लगभग 1789 ई0 में क्लाप्रोट द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से की गयी थी। युरेनस ग्रह के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। U-238 नाभिकीय रूप से सक्रिय होता है। इसके संपर्क में आने से लोगों को गम्भीर स्वास्थ्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

2. ‘सेफ प्लस’ ऋण योजना

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने हाल ही में घोषणा की है कि वह लघु व मध्यम उद्यमों (MSME) को आपातकालीन ऋण मुहैया कराएगा जिसका नाम 'SIDBI Assistance to Facilitate Emergency'-SAFE PLUS है। कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा उपकरणों और उत्पादों के निर्माण में लगे छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को 1 करोड़ रुपये तक की कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी।
- सेफ प्लस, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम है जो विनिर्माण में

लगे हुए हैं। इस योजना के तहत, MSME जो मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हेड गियर्स, दस्ताने, बॉडी सूट, वेंटिलेटर, जूता-कवर और काले चश्मे के विनिर्माण में शामिल हैं, 1 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। इससे देश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

- SIDBI ने बताया कि ऋण पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर दिए जाएंगे।
- सिडबी ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए स्वास्थ्य सेवा

क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय सहायता शुरू की है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से की गयी थी।
- यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है।

3. कोरोना वायरस का क्लस्टर ट्रांसमिशन

- भारत में जैसे-जैसे कोविड-19 (Covid-19) के मामले बढ़ रहे हैं, केंद्र और राज्यों में प्राधिकारियों का पूरा ध्यान नोवेल कोरोना वायरस के समूह संक्रमण (cluster transmission) को फैलने से पहले ही रोक देने पर है ताकि यह सामुदायिक संक्रमण (community transmission) का रूप ग्रहण न करे।
- हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (world health organization) ने अब साफ कर दिया है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन (community transmissions) का खतरा नहीं है।

समूह संक्रमण (क्लस्टर ट्रांसमिशन) क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने समूह संक्रमण की कोई परिभाषा नहीं दी है। हालांकि, उसने इसका प्रयोग संक्रमण के आकार को बताने के लिए किया है, सरकारी बोलचाल की भाषा में इसने अन्य शब्द समूहों का प्रयोग भी किया है जैसे आयातित मामले (imported cases), स्थानीय संक्रमण (local transmission) और सामुदायिक संक्रमण (community transmission)।
- समूह संक्रमण का प्रयोग भारतीय अर्थोरीज ने ऐसे संक्रमण की पहचान के लिए किया

है जो सीमित क्षेत्र में, अमूमन परिवार के अंदर या विस्तृत सर्कल (extended circle) तक सीमित हो।

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) का कहना है, अगर किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति विदेश गया है और वह परिवार के दूसरे सदस्यों को संक्रमित करता है या अपने परिवार के बाहर परिवार से जुड़े दूसरे लोगों को संक्रमित करता है तो इसे समूह संक्रमण कहा जा सकता है।
- इस स्थिति में, संक्रमण का स्रोत मालूम है और अगर परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो इसका पता लगाया जा सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 'सामुदायिक संक्रमण वह है जिसमें हम बड़ी संख्या में पुष्ट मामलों (confirmed cases) को संक्रमण के चेन से जोड़ नहीं पाते हैं।
- जबकि स्थानीय संक्रमण वह है जिसमें संक्रमण का स्रोत रिपोर्टिंग लोकेशन के अंदर ही है।

समूह संक्रमण को रोकने के कदम

- इस वायरस को ज्यादा लोगों तक फैलाने से रोकने के लिए राज्य सरकारें सूक्ष्म योजना

(micro plan) पर अमल करती हैं। इस योजना के तहत एक रोकथाम जोन की पहचान की जाती है, जिसका निर्णय उन व्यक्तियों के संपर्कों के आधार पर होता है जिनमें वायरस के लक्षण पाए गए हैं और यह उनके संपर्कों के विस्तार पर निर्भर करता है। अगर संपर्कों का पता लगाने में एक दिन से ज्यादा का समय लगता है, तो संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के आवास के इर्द-गिर्द तीन किलोमीटर के क्षेत्र को चिह्नित किया जाता है।

- फिर अतिरिक्त रूप से, पांच किलोमीटर की परिधि और अगर यह ग्रामीण क्षेत्र है तो सात किलोमीटर के इलाके को बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो समूह रोकथाम योजना के तहत आता है।
- एक आदर्श स्थिति में, आशा हेल्थ वर्कर्स और सहायक नर्स मिडवाइफ हेल्थ वर्कर्स को रोकथाम क्षेत्र के तहत आने वाले घरों में जाना होता है और उनको संदिग्ध (suspect) मामलों का पता करना होता है, उनके संपर्कों का पता लगाना होता है और लोगों में इस संक्रमण को रोकने, घर में ही बंद रहने और संक्रमण के आम लक्षणों के बारे में जानकारी फैलानी होती है।

4. राउंड ट्रिपिंग पर सर्वोच्च न्यायालय की सरव्ती

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमुख समाचार कम्पनी नई दिल्ली टेलीविजन (NDTV) के खिलाफ राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- आयकर विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007-08 में एनडीटीवी ने यू.के. में अपनी एक सहायक कंपनी के माध्यम से 100 मिलियन डॉलर की राशि को स्टेप-अप कूपन बॉण्ड के माध्यम से वित्तपोषण किया था। एनडीटीवी द्वारा विदेशी संस्थाओं के माध्यम से निवेश किया गया था। इसे ही राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। इस संबंध में आयकर ने 2015 में एनडीटीवी को

नोटिस जारी किया था जिसे हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।

क्या होती है राउंड ट्रिपिंग

- राउंड ट्रिपिंग का सरल मतलब है किसी व्यक्ति, धन, वस्तु आदि का उस स्थान पर वापस लौट आना, जहां से वह चला हो। काले धन के मामले में राउंड ट्रिपिंग तब होती है जब कंपनियां विभिन्न स्रोतों से धन किसी टैक्स हैवन देश में भेजती हैं और वहां से अन्य स्रोत से फिर वापस अपनी किसी भारतीय कंपनी में निवेश करा लेती हैं। इससे काले धन को तो सफेद बनाया ही जाता है, साथ में दोनों देशों में टैक्स भी बचाया जा सकता है। इसके कई स्रोत होते हैं जैसे किसी विदेशी फंड में निवेश

करना, ग्लोबल डिपॉजिटरी रीसीट (GDR) या पार्टिसिपेटरी नोट्स (P-Notes) में निवेश करना और फिर विदेश स्थित फंड या कंपनी द्वारा वापस किसी भारतीय एसेट में निवेश करना।

राउंड ट्रिपिंग: एक गंभीर समस्या

- राउंड ट्रिपिंग एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके बारे में अध्ययन बहुत ही कम हुआ है। प्रासंगिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस बारे में पहला कदम उन रास्तों और कार्यप्रणाली में बदलाव की पहचान करना हो सकता है जो बदले हैं या बदल रहे हैं, लेकिन रिजर्व बैंक इसके बारे में रुचि कम ही दिखा रहा है।

- विशेषज्ञों के अनुसार एफडीआई/ओएफडीआई के द्वारा राउंड ट्रिपिंग पर अंकुश का रिजर्व बैंक का वर्तमान प्रयास बिल्कुल अपर्याप्त है, क्योंकि इसमें कंपनियों की सब्सिडियरी

पर फोकस किया जाता है और माइनॉरिटी इक्विटी भागीदारी को नजरअंदाज किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट (FEMA) के तहत चल रहे कम्पाउंडिंग मामलों से भी

यह संकेत मिलता है कि कई छोटी-बड़ी कंपनियां एफडीआई और ओएफडीआई, दोनों की रिपोर्टिंग छिपाती हैं या रिपोर्टिंग में देरी करती हैं।

5. ग्रेस-एफओ मिशन

- अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी NASA और Nebraska-Lincoln विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पिछले दिनों ग्रेस-एफओ मिशन के अन्तर्गत नए उपग्रह-आधारित साप्ताहिक वैश्विक मानचित्र विकसित किये हैं जिनसे मिट्टी की आर्द्रता तथा भूजल की स्थिति का पता चलेगा।
- इन वैश्विक मानचित्रों में नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइसेज की ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन (GRACE-FO) उपग्रहों के डेटा का इस्तेमाल किया गया।
- उपग्रहों से प्राप्त जल वितरण में होने वाले परिवर्तनों की सूचना को अन्य डाटा के साथ एक कंप्यूटर मॉडल में समेकित किया गया।

- तत्पश्चात् जल के वितरण से संबंधित तीन अलग-अलग गहराइयों पर अलग-अलग मानचित्र तैयार किये गये। जो निम्नलिखित थे:
 - धरातलीय मिट्टी की आर्द्रता
 - मूल जोन अर्थात् मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग (3 फुट का भाग) की आर्द्रता
 - छिछला भूजल

इन डेटा की आवश्यकता क्यों?

- वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि इस परियोजना के माध्यम से उपलब्ध डेटा गीले और सूखे की स्थिति की पूरी तस्वीर को समझने में मौजूदा अंतराल को भर देगा।
- यह डेटा उपयुक्त कृषि फसलों के चयन और पैदावार की भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा।

ग्रेस एफओ मिशन के बारे में

- ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो (GRACE-FO) मिशन, भू-विज्ञान (GFZ) के लिए नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर के बीच एक साझेदारीपूर्ण मिशन है।
- ग्रेस-एफओ मूल ग्रेस मिशन का उत्तराधिकारी है, जिसने 17 मार्च, 2002 को पृथ्वी की परिक्रमा शुरू की थी। GRACE मिशन पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता को मापते हैं, जो हर 30 दिनों में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का एक नया नक्शा तैयार करते हैं।
- ग्रेस-एफओ भूमिगत जल भंडारण में परिवर्तन, बड़ी झीलों और नदियों में पानी की मात्रा, मिट्टी की नमी, बर्फ की चादरें और हिमनद, और समुद्र के पानी के कारण समुद्र के स्तर पर नजर रखने का काम जारी रखेगा।

6. अमेरिका द्वारा भारत को बेची जाएंगी मिसाइल

- 14 अप्रैल, 2020 को अमेरिका ने भारत को मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी। यह मिसाइलें हैं: टॉरपीडो लाइटवेट मिसाइल और हार्पून एयर-लॉन्च मिसाइल। इन मिसाइलों को 155 मिलियन डालर में बेचा जा रहा है।

मुख्य बिंदु

- 124 किमी की रेंज वाली 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक II एयर-लॉन्च मिसाइलों की अनुमानित कीमत 92 मिलियन डॉलर है।
- 16 MK 54 ऑल अप राउंड लाइटवेट टॉरपीडोज और तीन अन्य MK-54 एक्सरसाइज टॉरपीडोज की अनुमानित कीमत 63 मिलियन डॉलर होगी।
- ये मिसाइलें दुश्मन की हथियार प्रणाली से खतरों के खिलाफ अपनी क्षमता में सुधार करने में भारत की मदद करेंगी। हल्के टॉरपीडो का इस्तेमाल पनडुब्बीरोधी युद्धक अभियानों में किया जाएगा। हार्पून एक एंटी-शिप

मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की नाव या जहाज पर हमला करने के लिए किया जाता है। टॉरपीडो पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जा सकता है।

- पेंटागन के अनुसार, हार्पून मिसाइल प्रणाली को पी-81 विमान में एकीकृत किया जाएगा और यह एंटी-सर्फेस वॉरफेयर मिशनों का संचालन करेगा।
- यह मिसाइल 3.84 मीटर लंबी है और इसकी आक्रमण क्षमता 500 पाउंड है। इसमें एक उच्च विस्फोटक ब्लास्ट वारहेड है जो तटीय रक्षा और सतह से लेकर हवाई मिसाइल हमलों, जल में खड़े हुए जहाजों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर सकता है।
- मिसाइल का निर्माण बोइंग द्वारा किया जाएगा और पी-81 विमान में इसे एकीकृत किया जाएगा जो बोइंग के पी-8 का भारतीय रुपांतरण है। पी-81 विमान को सतह-विरोधी

युद्ध, लंबी दूरी की पनडुब्बी-रोधी युद्ध, निगरानी और खुफिया तंत्र तथा टोही मिशन के लिए बनाया गया है।

अमेरिका को फायदा

- अमेरिका के अनुसार यह मिसाइल अमेरिका को अपने प्रमुख रक्षा साझेदार में से एक को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ ही, यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति लाने में मदद करेगा।

भारत को लाभ

- भारत अपनी मातृभूमि की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इन मिसाइलों का उपयोग करेगा। साथ ही, यह मिसाइलें भारत के पी-81 विमान के साथ पूरी तरह से अनुकूल हैं और इसलिए, भारत को अपने सशस्त्र बलों में इन प्रणालियों को अवशोषित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

- हमारा पड़ोसी देश चीन अपने दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद बढ़ा रहा है। बीजिंग ने अपने मानव निर्मित द्वीपों के सैन्यीकरण को भी बढ़ा दिया है और यह कहा है कि उसे अपने देश के बचाव का पूर्ण अधिकार है।
- दक्षिणी चीन सागर के समस्त क्षेत्र पर चीनी संप्रभुता के दावे के खिलाफ वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, और ब्रुनेई ने अपनी संप्रभुता का दावा किया है। जबकि पूर्वी चीन सागर में, चीन का जापान के साथ क्षेत्रीय विवाद है।
- यह पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र तेल, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के कारण विभिन्न निकटवर्ती देशों के बीच व्यापक विवादों का एक कारण है।

7. तेल उत्पादन पर हुआ बड़ा समझौता

- तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज) और सहयोगियों के बीच तेल उत्पादन में कटौती को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मांगों में आई कमी के कारण कीमत को स्थिर रखने के लिए उत्पादन में 10 फीसदी की कटौती होगी।
- ओपेक प्लस तेल उत्पादकों के बीच 9 अप्रैल को कटौती को लेकर समझौता होना था लेकिन मेक्सिको उत्पादन में कटौती का विरोध कर रहा था। ओपेक ने इस समझौते की घोषणा नहीं की है लेकिन इससे जुड़े कई देशों ने समझौते की पुष्टि की है।
- अब तक इस बात की पुष्टि हुई है कि ओपेक और सहयोगी तेल उत्पादक देश हर दिन 90.7 लाख बैरल की कटौती तेल उत्पादन में करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुवैत के ऊर्जा मंत्री डॉ. खालीद अली मोहम्मद अल-फादेल ने ट्वीट कर इस समझौते की जानकारी दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय और रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने भी इसकी पुष्टि की है।
- विश्वभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण तीन अरब आबादी घरों में बंद है और इस वजह से तेल की मांग में एक तिहाई की कमी आई है। ओपेक प्लस इस उत्पादन में कटौती को लेकर तैयार नहीं था इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत पिछले 18 साल बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई थी।
- इस समझौते के अनुसार 01 मई 2020 से ओपेक प्लस देश तेल उत्पादन में हर दिन लगभग एक करोड़ बैरल की कटौती करेंगे। इसके साथ ही ओपेक प्लस समूह से अलग अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और नॉर्वे 50 लाख बैरल की कटौती करेंगे। इसी साल जुलाई से दिसंबर के बीच कटौती को कम कर हर दिन 80 लाख बैरल किया जाएगा। इसके बाद जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक 60 लाख बैरल तक लाया जाएगा।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. हाल ही में भारत सरकार द्वारा 'भारत पढ़े ऑनलाइन' अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में किस प्रकार सहायक है? उल्लेख करें।
2. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित कामगार मजदूरों की समस्याएँ कम नहीं हो पा रही हैं और वे अपने जीवन-मरण के दौर से गुजर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसके लिए केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय का अभाव है? चर्चा करें।
3. आर्थिक विकास क्या है? कोविड-19 भारतीय आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करेगा? चर्चा करें।
4. 'प्लाजा थैरेपी' क्या है? यह कोविड-19 जैसी महामारियों से लड़ने में किस प्रकार सहायक है? विश्लेषण करें।
5. हिमस्खलन से आप क्या समझते हैं? हिमस्खलन हिमानी ढालों पर मुख्य आपदा के रूप में दिखाई पड़ता है। इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का उल्लेख करें।
6. भारत में सामान्य स्थिति में गर्भपात कराना एक दंडनीय अपराध है, बावजूद इसके देश के अंदर अवैध रूप से ही सही गर्भपात की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इसके बढ़ने में तकनीकी का कितना योगदान है? उदाहरण सहित चर्चा करें।
7. वर्तमान समाज को देखें तो गाँधी जी का यह कथन कि "दुनिया हर किसी के जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं" पूर्णतः चरितार्थ हो रहा है। टिप्पणी करें।

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है?

- उत्तर प्रदेश

2. किस राज्य ने कोविड-19 से निपटने के लिए 'आपरेशन शील्ड' शुरू किया है?

- दिल्ली

3. किस राज्य ने महाविशुव संक्रांति के अवसर पर मंदिरों में 'मेरु जात्रा' उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है?

- उड़ीसा

4. किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 'युक्ति पोर्टल' लॉन्च किया है?

-मानव संसाधन विकास मंत्रालय

5. 'विश्व होम्योपैथी दिवस 2020' का विषय क्या है?

- "सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी के दायरे को बढ़ाना"

6. कोविड-19 नमूना संग्रह 'कोवस्क' (COVSACK) किसने विकसित किया है?

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

7. कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा?

- भारत

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ

1. यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है, सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं है।

- महात्मा गांधी

2. सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं।

- मार्टिन लूथर किंग जूनियर

3. वह सबसे अधिक धनवान होता है जो कम में ही संतुष्ट हो जाता है, सन्तुष्टि ही प्रकृति का नियम है।

- अल्बर्ट आइंस्टीन

4. क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है।

- गौतम बुद्ध

5. साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं, यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं।

- अब्राहम लिंकन

6. भगवान का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हम सभी सही दिशा में अच्छी कोशिश करके भगवान जैसी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

- महावीर स्वामी

7. हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, एक भूत बन कर आपकी नींद में बाधा डालेगी।

- रबीन्द्रनाथ टैगोर

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparalleled track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evident from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individual's capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros for economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies. The distance learning material is comprehensive, concise and exam-oriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR- 8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

 YouTube **dhyeyaias**

dhyeyaias.com

 /dhyeya1

STUDENT PORTAL

Dhyeya IAS Now on Telegram

We're Now on Telegram



Join Dhyeya IAS Telegram

Channel from the link given below

"https://t.me/dhyeya_ias_study_material"

You can also join Telegram Channel through
Search on Telegram

"Dhyeya IAS Study Material"

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in



Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter

(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारे ईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें** अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से **Subscribe** करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending "Hi Dhyeya IAS" Message on 9205336039.

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter

Step by Step guidance for Subscription:

- **1st Step:** Fill Your Email address in form below. you will get a confirmation email within 2 min.
- **2nd Step:** Verify your email by clicking on the link in the email. (Check Inbox and Spam folders)
- **3rd Step:** Done! you will receive alerts & Daily Free Study Material regularly on your email.

Subscribe



Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400